की एक एडवाइजरी बाडी रखी गई है और इसको अभी बहुत कम मामले सौंपे गये हैं। मेरा ख्याल है कि जो बाडी रखी गई है वह दिन प्रति दिन मजबूत होती जायेगी। मेरा यह भी कहना है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया जितनी भी इसमें ताकत है वह इसमें खर्च करेगी। शिपिंग बोर्ड का जो मामला है वह आज छोटा सा ही मालूम होता है। एडवाइजरी बाडी को अभी दो एक फर्ज ही सौंपे गये हैं। यह कहा गया है कि तमाम मालों पर इनक्ल्यूडिंग डिवेलेपमेंट एडवाइज देने के लिये और जो इसको रेफर किये जायें। ये जो बोर्ड हैं ये इसी तरह से पहले पहल बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ताकत पकड़ते जाते हैं।

विस्तार के साथ इस बोर्ड की ड्यूटीस नहीं लिखी गई है। यह नहीं लिखा गया है कि टैक्निकल इनकम्पीटेंसी वगैरह यह देखेगा या ट्रेनिंग वगैरह का इंतिजाम करेगा। लेकिन इन ड्यू कोर्स आफ टाइम, आगे चल कर, अगले चन्द सालों में इस शिपिंग बोर्ड को इतनी जबर्दस्त आर्गेनाइजेशन बनेगी जो हमारे देश की शिपिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनलाइज कर देगी ....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य जो कुछ उनको कहना है, कल के लिये रख सकेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जैसी आपकी इच्छा ।

15-02 hrs.

DISCUSSION RE: REPORT OF ADVISORY COMMITTEE ON SLUM CLEARANCE.

Shri Rajendra Singh (Chapra): Sir, I beg to move:

> "That the Report of the Advisory Committee on Slum Clearance, laid on the Table of the House on the 30th August, 1958, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Sen Committee on slum clearance was charged with the responsibility of expediting conclusiveness and providing depth of focus on criticals, so that we could take some immediate action which could, if not impress the country, make some substantial contribution to the solution of this crying problem. Viewed just from this background, I have shrewed suspicion that Shri Sen, though widely known for his intelligence and wide experience in the field of law, could not probe into the depth of the problem and the approaches, much less all the suggestions, to this problem have been from a very wrong and vicious angle.

I should like to quote a comment which his report has invited from his very friendly party, especially to him. It has appeared in the *Eastern Economist*.

> "It is a great pity that the Law Minister and his colleagues have allowed themselves to be so easily led into a field in which their experience has by no means brought any fruit".

The comment itself is self-explanatory. However be that as it may, we have to consider the basic issue involved in the growth and expansion of slums: why it has come to appear at all? What had been the material conditions and the causes which have contributed to the growth and increase of slums? I think Shri S. K. Patil, the Law Minister's colleague, must be complimented. At least he had the sagacity to understand that these slums crop up not because people are enamoured of town life, but entirely because the material resources

[Shri Rajendra Singh.]

and the skill of the countryside are gradually and are increasingly being turned to the cities and towns. So, the flow is from countryside to the town-side. Gandhiji had understood this problem long before, and though he was not an economist, he still emphasised—and emphasised with all clarity of mind and conviction—that if any economic growth of this country had taken place, if a welfare State had to be built up in this country, it could not be on western pattern. We will have to evolve a pattern of our own which will suit the needs and conditions of the country. That is why he had been so much insistent on the decentralisation of industry. At the same time, because we do not have the resources and the capital at our disposal to speed up the industrial development of the country, he suggested that the entire growth of this country could take place only if the countryside is provided with small-scale industries and cottage industries.

Therefore, the question to my mind today is—I am just expressing my very sincere feelings and thinkings—that this slum problem, if it has to be tackled from the right angle, is a problem to solve which the proper course would be prevention. Of course I do not suggest that the people who are slum-dwellers should be driven out from where they are today, but then, as Shri Sen has suggested, apart from bringing about some improvement on the dwelling sites, we have to provide those people with certain means of subsistence, and certain means of occupation, and for that matter, he wants industrial estates, small-scale industries, some cottage industries and satellite towns. They are quite good so far as they go. But if this process starts like that, then, apart from big industries which are confined to big cities of India and giving all the time, more and more, to that part of the country, and if even these things which were meant primarily and entirely for the countryside are made to go round these towns, what would happen? The people from the countryside would flow into the towns in greater and increasing numbers. That way, instead of solving the problem, we will be inviting more problems, and we will be just making the situation all the more difficult.

So, so far as the Sen Committee report goes, Shri Sen himself has in his report mentioned that this slum problem is so big; it is as big as our country itself; it is as big as our social and economic problems are. Our slum population in towns ranges from 7 to 60 per cent. Every year, we have a backlog of five million houses, and 1.5 million houses are unfit for human living. Shri S. K. Patil has pointed out in his earlier report that if at all in Bombay city we start clearing up the slums, it will involve nearly Rs. 200 crores. Therefore, if this slum clearance is to cost Rs. 200 crores in one city alone—as we have understood from his report and the other reports that have preceded it—it follows that Rs. 10,000 crores would be required to clear up the slums in the entire country. Can we dream of it? We are having a Plan of only Rs. 4,800 crores. And, what has happened to it? It has just collapsed. Everyone of us who has some concern for the interest of the country is so uneasy that we are having nightmares whether we would succeed or not. There are some quarters who are trying hard and advising us to prune down the Plan. To spend Rs. 10,000 crores for slum clearance or for just having towns worth living is unthinkable for us.

Shri Sen has to be complimented for having pruned down his suggestions to a practical scale. He has suggested that Rs. 2 crores should be set apart, over and above what the Planning Commission has set apart, for solving problems connected with slums in big cities like Calcutta, Kanpur, Bombay, Delhi and so on. Even for this sum he has not been able to find the resources. It is very ludicrous. Only a few days back when I said that

the recommendations of the Mudaliar Committee in respect of the freight structure should be adopted without pruning them down, the Railway Minister replied that he does not want that the prices should go up. He said that if the freights on railways would be increased it will contribute towards raising prices. I know it was just a lame excuse. Any way, on the heel of it, there is the Sen Report. Even to find out these small sums of Rs. 2 crores for such big cities like Delhi, Bombay and Calcutta, he has suggested terminal taxes. Who will bear those taxes? Goods and passengers. Now, one Minister says one thing, while another Minister says some other thing. Who is to be complimented and who is to be indicated? But that shows the mind of the Cabinet.

The first and foremost thing that was required to tackle this problem, to my mind, was to have evolved out an efficient machinery which could implement the decisions of the Government. The Patil Committee pointed out that issue, but, so far as the Sen Committee is concerned, it has contented itself by suggesting that we should have State corporations headed by a central corporation. I know, so long as our Prime Minister is there we are bound to be enamoured of corporations. If there is any defect, if there is something which comes in our way, we just jump up and say that the solution is to have a public corporation. That may be true, that may be right, I do not question that; but it is not any improvement on Shri Patil's recommendations. The State Government had been a defaulter so far either in the implementation of the housing programme in towns, or in improving the conditions obtaining in the slum areas, or in acquiring lands for all these purposes, because of the pressures of interested groups. There have also been so many public corporations, but the performance and achievements of the public corporations have not been above criticism, have not been so satisfactory as to rely upon that pattern of activity.

Therefore, when the State Government is such that it cannot but be dominated by pressure groups, by vested interests, and public corporations as such cannot discharge the functions and responsibilities thrust on them in a manner to the satisfaction of the country, then he should have called upon a genius to find out a solution; because every time we meet difficulties it is human nature to whip up the genius and find out a solution. Neither the public corporations, to my mind, nor the State Governments as they are today can be of much use so far as the tackling of this problem is concerned. Therefore, it would be better if Shri Sen and his colleagues in the Cabinet apply their imagination and, first and foremost, concentrate upon finding out an efficient and irreproachable agency which could manage the show.

He has come from Calcutta. Though I do not belong to Calcutta, I had been there for a pretty long time and for a good amount of time in slum areas. He has suggested that our scale of compensation is such that if we work on that it shall not be possible for us to acquire lands on the scale we require. Sir, in the slum areas, though there are still some big zamindars, by and large, most of the areas are sublet to tenants and those tenants put up some very weak structures unfit for human living—I have seen that in 24 Parganas, Hooghly, Barah Nagar area and other places, where such houses are called '*bola houses*'—and they again let them out to the people who actually want to live in them. In that way there are so many interests. There is not one landlord who is the owner of a house, but there is tier upon tier. Therefore, I feel that the suggestion that Shri Sen has made on that score—though it is not quite a happy term to use—amounts to confiscation. I agree that when one has too much of land, when one is coming from a zamindar family or a capitalist family, if his lands could be taken without much damage to his interests he can

[Shri Rajendra Singh.]

afford to suffer it. But, so far as small people are concerned,—especially, in Kidderpore area I saw persons who have been in Calcutta for the whole of their lives—who have purchased some lands and built small houses out of their small earnings for the whole life and if those lands happen to be in slum areas, what would happen to them if they are divested of their rights over their properties without adequate compensation being paid to them? The meagre savings that they have made after toiling for their whole life will all go in vain. So, this should not be allowed in the larger interests of the country. If at all it is necessary to have land for improving the slum areas, if at all the Ministry wants to proceed in that manner, it should proceed with a sense of responsibility, with an eye to the interest of the small tenants.

Again reverting to the question of funds, if at all some additional funds have to be found out for improving the slum areas, I very humbly submit that railways should not be made the source. The rates of railway fares and railway freight could be increased; there is scope for it, but they could be increased only for meeting the depreciation of the railways, for meeting the development plans of the railways and for meeting the demands of labour. But they cannot be increased for meeting the requirements suggested by Mr. Sen namely, for improving the slum areas. If his proposal to impose an additional terminal tax is accepted....

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Rajendra Singh: If I will be given sometime for reply, then I will conclude. The practice is that 20 minutes are allowed in the beginning and 10 minutes for the reply. I have taken only 15 minutes. I want 5 minutes more.

Mr. Deputy-Speaker: I will give him five minutes now. I will give him some time at the end also.

Shri Rajendra Singh: As regards Delhi, Bombay and Calcutta, what happens is this. The industrialists and those who are interested in industry not only like to extend their existing industries in those areas, but at the same time, if at all they want to start new enterprises, they try to do it round the cities. This is the crux of the problem. I would urge upon the hon. Prime Minister that if at all we want that this sorry state of affairs should come to an end, then the right thing to do would be to ask every prospective industrialist who desires to have an industry round these cities not to have those establishments here. Even if it is somewhat uneconomic, even though it is not so much profitable, it is desirable to take the industries which fall within the State sector as well those managed by the private sector to the villages. Unless they take the industries to the villages, people would be flowing from the countryside into the towns and by doing any amount of work here, you would not be able to keep pace with the situation.

So, my humble submission is that three things must be done at once. No new industrial enterprises should be allowed to be started round the cities. In the case of those who need expansion of existing industries, they should be advised that they should have subsidiary industrial establishments elsewhere. So far as industrial estates, satellite towns, small-scale industries, etc. are concerned, they should not be confined to the big cities, but they should be taken to the countryside.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Report of the Advisory Committee on Slum Clearance, laid on the Table of the House on the 30th August, 1958, be taken into consideration."

I have already got about 10 names and other names also might be coming in. There might be a few others who have not sent chits, but who may try to catch my eye. So, a time-limit should be placed. No hon. Member should try to take more than 10 minutes. Shri Naval Prabhakar.

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रतिवेदन हमारे सम्मुख है गन्दी बस्तियों के बारे में, इसमें जिन तथ्यों तथा आंकड़ों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है, उनकी ओर मैं समझता हूं कि सब का ध्यान जाना चाहिये । यह जो रिपोर्ट पेश की गई है, यह स्वागत योग्य है ।

एक समय था जब इन गन्दी बस्तियों की ओर किसी की भी निगाह नहीं गयी थी । किन्तु हमारी खुशकिस्मती है कि माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान सब से पहले इन की ओर गया और उन्होंने इनकी दशा सुधारने के लिये कदम उठाये ।

जहां तक गन्दी बस्तियों का संबंध है, अभी तो फिलहाल छः बड़े बड़े शहरों में जिन के नाम कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई और दिल्ली हैं, इनको खत्म करने का ही इसमें जिक्र है । मैं और शहरों के संबंध में कुछ न कह कर दिल्ली के बारे में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

दिल्ली के लिये दो करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है और इस राशि को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खर्च करने की बात कही गई है । दो तरह की योजनायें हैं, एक तत्कालिक है और दूसरी लम्बी अर्से के लिये । जहां तक तत्कालिक योजनाओं का संबंध है, उनके बारे में कुछ कार्य हो रहे हैं । कुछ गन्दी बस्तियों के अन्दर कुछ कटड़ों के अन्दर पानी, प्रकाश इत्यादि का इंतिजाम किया गया है । किन्तु असल में जो महत्व है वह तो स्थायी योजनाओं का ही है । जहां तक स्थायी योजना का ताल्लुक है, उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है । मैंने देखा है कि जब यहां पर एक बिल पेश किया गया था और कहा गया था कि दिल्ली डिवेलेपमेंट प्राविजनल आथोरिटी बनाई जाएगी और उसका एक काम यह होगा कि वह एक मास्टर प्लान बनाये, उसके बाद उसने अन्तरिम प्लान बनाया । किन्तु उस प्लान को आधार मान कर इसमें कहां तक प्रगति हुई है, मैं नहीं कह सकता । केवल कुछ लकीरें तो नक्शों के ऊपर लिखी हुई हैं लेकिन कार्यरूप नहीं दिया गया है । जहां तक मुझे पता है और जो इनफार्मेशन यहां दी गई है, प्रश्नों के उत्तर में, उससे यही मालूम होता है कि कह तो दिया जाता है कि अमुक अमुक बस्ती को लिया गया है किन्तु वे बस्तियां वही हैं जो पुराने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जमाने में थीं और वैसी ही चली आ रही हैं । आदर्श गांव की नई स्कीम शुरू की गई थी और तिहाड़ गांव उसमें आता था । १०–११ वर्ष से यह स्कीम चली आ रही है, लेकिन अमल नहीं हुआ है । बिनोबा जी भी वहां गये थे और उन्होंने भी कहा था कि वहां आदर्श गांव ही बनेगा । हमारे दिल्ली राज्य के मंत्रीगण भी गये और उन्होंने भी इसी बात को दोहराया । डेढ़ दो वर्ष पहले ले आउट बन गया था लेकिन उसमें कोई प्रगति उसके बाद नहीं हुई है । अब मैंने सुना है कि पुनर्वास मंत्रालय ने साढ़े सात लाख रुपया भी दे दिया है । किन्तु जो अधिकारी वर्ग है, उसके बीच में ही एक बड़ी रस्साकशी चल रही है । जहां तक दिल्ली प्रशासन का संबंध है, या दिल्ली में जो विकास आथोरिटी है उस का संबंध है, वे कहते हैं कि यह जो जमीन है इसको उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाना चाहिये और जो पुनर्वास मंत्रालय है वह कहता है कि जमीन हैंड ओवर करने की मैंने कई बार प्रार्थना की, फिर चीफ कमिश्नर साहब को वहां ले गया, लेकिन बार बार यही एक चीज होती रहती है । मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की जो भी योजनायें हाथ में ली जावें उनकी तरफ ध्यान दिया जाये । दस वर्ष से यह मामला पीछे पड़ा हुआ है । अब भी इस

[श्री नवल प्रभाकर]
तरह की योजनायें ली जायें तो जो हमारा मांत्रिकारी वर्ग है वह जरा माथा जुटा कर बैठ जाय और आपस में मिल कर कोई फैसला जल्दी कर डाले। साढ़े सात लाख रुपया रक्खा गया है, सब बातें तय हो चुकी हैं। ले आउट बन चुका है, किन्तु इसे कार्यान्वित करने में देरी हो रही है। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस की एक तिथि निर्धारित होनी चाहिये और उस के अनुसार काम होना चाहिये।

जहा तक इस २ करोड़ पये का संबंध है, मैं दिल्ली के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस में जो सरकारी कर्मचारी आते हैं जो कि गन्दी बस्तियों में रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये और उस को इस २ करोड़ रुपये को जो गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये दिया गया है, उस में नहीं मिलाना चाहिये। सरकार जो अपने क्वार्टर आदि बनाती है, उस में उनको बसाये। इसी तरह से जो कारपोरेशन के कर्मचारी हैं उनको कारपोरेशन बसाये। इसके अतिरिक्त कुछ मजदूर या श्रमिक हैं जो कि मिलों में काम करते हैं, या बड़े बड़े कारखानों में काम करते हैं। उनको बसाने की जिम्मेदारी कल कारखानों के ऊपर होनी चाहिये। इस तरह गन्दी बस्तियों में रहने वालों की जो बहुत बड़ी संख्या है बसाने के लिये, वह निकल जायगी और थोड़ी संख्या रह जायगी। देखा यह जाता है कि गन्दी बस्तियों में या तो जो मजदूर वर्ग है वह रहता है या जो चौथे दर्जे के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी या कारपोरेशन के कर्मचारी, वे लोग रहते हैं। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि यदि इस काम को कर लिया जाय तो उसके बाद बहुत थोड़े लोग बच जाते हैं जो कि दूसरे स्थानों में काम करते हैं। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर जो बड़े बड़े कारखाने हैं जो दिल्ली शहर के बीचो बीच में, उसकी छाती पर खड़े हैं, लगभग पन्द्रह-बीस वर्ष पहले दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास कर के यह कहा गया कि जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनको निकाल कर शहर के बाहर ले जाना चाहिये। उनको नोटिस दिया गया, जहां तक मुझे याद पड़ता है उनको जमीन भी दी गई। लेकिन नई जमीन पर उन्होंने एक नई मिल खड़ी कर ली, लेकिन पुरानी मिल है वह वहां से शिफ्ट नहीं हुई। इस तरह के दो बड़े बड़े कारखाने शहर के बीच में आ जाते हैं, स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिप्रद हैं और जनता की मांग है कि चूंकि वह शहर के बीच में खड़े हुये हैं और बराबर धुआं उगलते रहते हैं, इसलिये उनको शहर के बाहर ले जाया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी शहर के बाहर कर दिया जाय और वहां पर, जैसे ही वे कारखाने शहर के बाहर चले जायें, उस में काम करने वाले जो श्रमिक या मजदूर हैं वे भी चले जायेंगे और इस तरह से बहुत बड़ी जगह शहर के बीच में निकल आयेगी और जो शहर के बीच में आज स्लम्स बने हुये हैं, गन्दी बस्तियां बनी हुई है, उनको वहां से हटा कर इस नई जगह में बसाया जा सकता है।

दूसरा सुझाव यह है कि जो दूसरे लोग बसे हुये है, उनके लिये शहर के बाहर बहुत सी जमीन मिल सकती है। वहां पर आप जमीन लेकर उसे डेवेलप करें और उसके बाद उन मे छोटे छोटे प्लाट्स बना दें और हर एक मजदूर कों जो आज यहां पर गन्दी बस्तियों में रहता है, और वहां जाना चाहता है, उसे वहां भेज दिया जाय। मैं उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि लगभग ३० या ४० साल पहले यहां दिल्ली के अन्दर कुछ गन्दी बस्तियां थीं। उन गन्दी बस्तियों में वैसे ही लोग रहते थे जैसे कि आज रहते हैं। उस समय की सरकार ने उनको नये प्लाट्स दिये। जो पहले प्लाट्स थे उनमें जो कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े हुये थे, उनको थोड़ा बहुत मुआवजा दिया गया। इस तरह से वह लोग वहां से उठा कर दूसरी जगहों पर बसा दिये गये।

करौलबाग व रहगड़पुरा और बीडनपुरा की जगह हैं वे उन्हीं लोगों से भरी हुई हैं। इसी तरह से पहाड़ी धीरज में जो लोग थे वह भी बुरी अवस्था में थे। उस वक्त की सरकार ने उनको वहां से उठा कर जो आज करौलबाग का देवनगर का इलाका है उस में बसा दिया। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। अगर वह उन लोगों के लिये जमीन का वितरण कर दे और दो तीन जगहों पर उन को बांट दे तो इस तरह से सरकार का पैसा कम खर्च होगा। और लोग भी आसानी से और जल्दी बस जायेंगे।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यहां पर झुग्गियां और झोंपड़े बहुत ज्यादा हैं। उनकी तादाद लगभग ५०,००० के है। उन लोगों को बसाने के लिये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप कोई जमीन ऐक्वायर कर लें और उस के बाद लोगों को १००, १०० वर्ग गज के या ५०, ५० वर्ग गज के प्लाट्स दे दें ताकि वे लोग वहां पर अपनी झोंपड़ियां बना सकें। सवाल यह है कि उनके लिये पुख्ता सड़क वगैरह के लिये जगह छोड़ दी जाये। फिलहाल आप उनको डेवेलप न करें, सड़कें वगैरह न बनायें। उनको बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता डेवेलप कर सकते हैं जिस तरह से और भी इलाके हैं जहां पर कि पहले जमीन दी गई थी देवनगर में भी पहले कोई सड़कें आदि नहीं थीं। बाद में वह इतना बड़ा इलाका बन गया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं समझता हूं कि काम चलता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

Shri Tangamani (Madurai): I am glad, the Sen Committee report is being discussed today. At the outset I must say that the report is a very short and less ambitious one. On page 30 of this Report, seven recommendations of this Committee are listed. I will refer only to two or three recommendations.

One of those recommendations is that the six cities, Delhi, Madras, Bombay, Calcutta, Ahmedabad and Kanpur must be specially chosen for the purpose of improving the slums and that Rs. 2 crores has to be set apart for it. I have no grievance at all about it. But I would submit at the outset itself that what is more required now is improving the slums rather than clearing the slums, because clearing the slums as such is a very difficult problem. In the Report it is stated that slums which are not habitable accommodate about 1·15 million people and in terms of money that will have to be invested, it will come to about Rs. 600 crores. I do not know whether our Government would be in a position to get these Rs. 600 crores in the course of this year or next year or even during the course of the several Five Year Plans that we have in view.

Having said that, I do agree with this Committee that Rs. 120 crores, which is set apart for housing in the Second Plan, should not be cut at all and as the Rs. 20 crores which has been set apart for the slum clearance is only a feeble amount, no invasion should be allowed to cut this particular amount. But the suggested way in which the amount has to be raised is by way of terminal tax. Certainly, nobody from this side of the House will agree to new taxes being imposed.

Then a question may be asked about the priorities. In this country, it is very difficult to say what is to be given priority. Certainly, slum clearance has got to get priority. If half a seer of milk is to be given to every child within five years, it will also probably come to Rs. 600 crores, and that will also have to be given priority. When we take the specific points raised in the Report of the Committee, I feel that slum clearance should have priority. But I do not like to copy the West, as one of my hon. friends was saying, in the matter of slum clearance. We have been used to airy houses. I can mention the case of a

[Shri Tangamani]

slum which was cleared in Madras, which is known as Meenambhal Sivaraj Colony, named after the well-known social worker. It consists of ordinary hutments. But the Madras State Government has taken pains to see that it is properly lighted, it has proper sanitation, underground drainage, water facilities and so on. If these three things are given to the slum-dwellers, instead of having *pucca* buildings or big tenements, that will be a very good thing. That may be good for exhibition purposes, but that is not going to solve the problem.

Now I would mention how difficult this problem is. I do not know whether the Committee has gone into the implications of this particular problem. It is a very difficult problem. I only refer to two or three statements which were made on the floor of the House by the Government itself.

There is one more point to substantiate what I said about the development of slums. There is a slum in Madurai. There are about one thousand slum dwellers. We combine the two together. We are only for improving the slums. We are not for evicting those men. The moment we evict those men, as it has been made very clear in the Report, we are not going to provide for any living for those people. So, the main question is that in the next few years it should only be the question of improving the slums.

In the Report on the last page, Appendix II, it is mentioned how during the Second Plan period out of the Rs. 20 crores which have been allotted for the entire period, Rs. 1501 lakhs have been allocated upto the 15th July, 1958 for all the States. For all the 14 States the value of the projects approved by the Government is Rs. 717·43 lakhs. For Bombay, the allotment is Rs. 429·33 lakhs and the value of the approved projects is Rs. 318·98 lakhs. For Madras allocation is Rs. 168 lakhs and the approved figure is Rs. 41·73 lakhs. For UP the allocation and the approved figure is the same. For West Bengal Rs. 280 lakhs have been allocated and the approved figure is Rs. 71·04 lakhs.

Now, the question is—I have heard representations from the Madras State Government—that the amount is allocated, the amount is sanctioned and then the scheme comes back to the Centre. By the time they are able to finalise the scheme, any Government will be fed up with the red tapism that is going on. Allocation is one thing and approved is another thing. Having approved it, the amount sanctioned will be far more less. I would like to say that this slum clearance also must be taken as a part of the housing scheme.

For the housing scheme, the Government of India have got five schemes. One is the subsidised industrial housing scheme. The amount allocated by subsidy and loan to the 14 States is Rs. 400 lakhs. The amount drawn by the States is Rs. 54·53 lakhs.

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chand): That has nothing to do with slum clearance.

Shri Tangamani: It is a part. I am coming to the whole thing. I am only reading back the statement which you yourself made on the floor of this House. I would like the hon. Minister to refer to the eleven items mentioned in the statement showing the schemes taken up during 1957-58 for the clearance of slums in Delhi and their progress in reply to Starred Question No. 1358 dated the 1st April, 1958. Another thing is Unstarred Question No. 376 dated the 19th February, 1958. That also makes very interesting reading. Then comes the State-wise statement sowing the amount of assistance (loans and grants) allocated and amount actually disbursed to the various States during the year 1957-58, upto 31-1-58.

As I said, there are five schemes. One is the subsidised industrial housing scheme. The amount allocated is Rs. 400 lakhs and the amount drawn is Rs. 54.58 lakhs. For the low income group housing the amount allocated is Rs. 500 lakhs and the amount drawn is Rs. 148·90 lakhs. For the slum clearance scheme, loan and subsidy allocated is Rs. 100 lakhs and the amount so far drawn is Rs. 10.25 lakhs. For the Plantation labour housing scheme the amount allocated is Rs. 25 lakhs and the amount drawn is nil. For village housing projects scheme the amount allocated is Rs. 50 lakhs and the amount drawn is nil. This is really a statement which was made on the floor of the House by the hon. Minister of Works, Housing and Supply.

Another question to substantiate my point is Unstarred Question No. 1696 dated the 26th March, 1958. There are statements regarding the industrial housing scheme, low income group housing scheme, plantation labour housing scheme, slum clearance scheme and village housing projects scheme, for the period 1953 onwards. Under the subsidised industrial housing scheme during the years 1953 to 1958, the total number of houses built are 57,855, loan given is Rs. 10·14 crores and subsidy given is Rs. 7·40 crores. Out of this U.P. has got nearly 20,000 houses, Bombay has got 17,000 hours, MP has got 5,900 houses, Mysore has got three thousand and odd houses and West Bengal has got 1,440 houses. That is during the years 1953 to 1958. During this period Madras has got 936 houses.

Under the Low Income Group Housing Scheme, from 1954 to 1958: 21,223 houses were built but the amount drawn by the State Governments for all these years is Rs. 22·51 crores. Punjab alone has made use of this having built 6,787 houses. U.P. built 3,827 houses. Bombay built 2,607 houses and Madras built 1,231 houses.

Under the Slum Clearance Scheme which was introduced in April 1956, till the end of March 1958 the loan drawn by the 14 States is Rs. 53·90 lakhs. Bombay drew Rs. 13 lakhs, Madras drew Rs. 12 lakhs etc. In the case of the village housing projects scheme the same story follows.

Now there is another thing. Because this report deals in detail with Calcutta, I will refer to what is mentioned about Bombay. That is given in reply to Starred Question No. 1617 dated the 11th April, 1958. The scheme is like this.

> "Twenty one slum clearance projects of the Bombay Government have been sanctioned upto the 31st March, 1958 at a total approved cost of Rs. 2·67 crores, 25 per cent of which will be given by the Union Government as subsidy and 50 per cent as loan. The remaining 25 per cent of the approved cost will be borne by the State Government...... Of these 21 projects, 5 projects for construction of 1498 single-storeyed and 432 multi-storeyed one-roomed tenements are for the Poona Corporation; 7 projects for the construction of 824 single-storyed and 1032 muti-storyed one-roomed tenements are for the Ahmedabad Corporation and the remaining 9 projects for construction of 2342 multi-storeyed one-roomed tenements are for the Bombay Corporation. Practically all these projects provide for separate kitchen and individual bath and WC for each unit of accommodation and most of them are due for completion by the 31st March, 1960."

This is the plan which we are having for Bombay and I would like to know the plan which we are having for Madras during this period. What I want to make out is that from 1951 onwards ever since the housing was taken up by the Government of India, the progress has been very slow. To some extent probably the State Government was at fault but to a large

[Shri Tangamani]

extent the Central Government was at fault. Where the amount has been allocated the approval has not been given. Where the scheme has been approved the sanction has not been made. So, that being the background, I really request the Government also to take this Report seriously and give these Rs. 2 crores to each of the six cities for the slum developmental programme, *i.e.*, for improving the slums and for clearing them.

There is another way in which slums come up, as in the case of Vinay Nagar. A new colony comes up—Main Vinay Nagar and East Vinay Nagar. In between there is a drain and slums come up. If the slum dwellers are asked to clear out of the place, naturally those people living in the colony will protest because they are providing the necessary facilities for daily work.

Mr. Deputy-Speaker: The allocation was ten minutes and the time drawn is eleven minutes.

Shri Tangamani: One more sentence and I will conclude.

Therefore at least this aspect of improving these slums in the six cities be taken up seriously and the report made to this House.

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Krishna Mehta. She is not there. Shri Braj Raj Singh.

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है इसलिए मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मकानों की, गंदी बस्तियों की और उससे जो सम्बन्धित समस्याएं हैं, उनके हल करने में जहां सरकार का ध्यान जा रहा है वहां उसके साथ ही सरकार का ध्यान उस चीज की तरफ़ भी जाना चाहिये कि आज शहरों में बड़े बड़े लोग, ठेकेदार और बिल्डिंग मैटिरियल में जो लोग लगे हैं वे बहुत रुपया कमा रहे हैं। अब हमारा प्रयत्न यह है कि शहरों में काफी अधिक संख्या में सस्ते मकान बनें ताकि लोगों की हम निवास की समस्या को संतोषप्रद तरीके से हल कर सकें और यह ठीक है कि जब तक काफी तादाद में ऐसे सस्ते मकान शहरों में नहीं बनेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। आज हमें लाखों ऐसे मकान बनाने की आवश्यकता है। सेन कमेटी की रिपोर्ट में बतलाया गया है और पाटिल साहब की जो रिपोर्ट है उसमें यह दिया हुआ है कि हमें लाखों मकानों की जरूरत है और चूंकि हम लोगों की जरूरत लायक़ पूरे मकान बना नहीं सकते तो उस स्थिति में इस तरह की गंदी बस्तियां हमारे यहां बढ़ती ही जायेंगी। इस तरह आप देखेंगे कि गंदी बस्तियों का जो प्रश्न है वह मकानों के बनाने से सम्बन्ध रखता है। आज हम देखते हैं कि लोगों का झुकाव शहरों की तरफ़ अधिक हो रहा है और गांवों से लोग निरन्तर शहरों की तरफ़ बढ़ रहे हैं। एक तो सवाल यह उठेगा कि क्या हम कोई इस तरीके का कार्य कर सकते हैं या नहीं, कोई दृष्टिकोण इस तरीक़े का बना सकते हैं या नहीं कि जो प्रोत्साहन लोगों को शहरों की तरफ बढ़ने के लिए आज मिल रहा है उस प्रोत्साहन को किसी तरह खत्म किया जाय ताकि लोग शहरों की ओर न बढ़ें और वे गांवों में ही बने रहें। अब यह हम किस तरीक़े से कर सकते हैं। मैं समझता हूं जैसा कि सेन कमेटी की रिपोर्ट में सुझाया गया है अगर हम गांवों में छोटे छोटे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू धंधे स्थापित कर सकें तो लोग गांवों में बने रह सकते हैं और मैं समझता हूं कि तब आज की तरह जो शहरों की तरफ़ लोग बढ़ रहे हैं और शहरों की आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है, वह कम की जा सकती है और उसको रोका जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था करने से लोग गांवों में ही रहेंगे और उनका ध्यान शहरों की ओर न जा कर

गांवों में बना रहेगा। आज आधुनिक सभ्यता के युग में हमारे लिए शायद शहरों की आबादी में कमी करना संभव न हो और यदि ऐसा हो तो हमें फिर यह सोचना पड़ेगा कि शहरों की निरन्तर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हमें शहरों में गृह निर्माण के काम को जोरों से करना पड़ेगा, बहुत बड़ी संख्या में मकान बनाने होंगे ताकि लोगों को रहने की समस्या हल की जा सके। सरकार का दृष्टिकोण कुछ इस तरीके का रहा करता है कि जब तक फ़ी मकान के लिए ३, ४ हजार पये नहीं लगेंगे तब तक वह नहीं बन पायेगा और ३, ४ हजार पये के बिना हम एक इस तरह का सादा छोटा सा मकान नहीं बना सकेंगे जिसमें कि गंदी बस्ती का एक परिवार रह सके। मैं समझता हूं कि सरकार का जब तक इस तरह का दृष्टिकोण रहेगा तब तक यह गंदी बस्तियों की सफाई करने और उससे सम्बन्धित जो मकानों के निर्माण की समस्या है, वह हल नहीं हो पायेगी। मैं समझता हूं कि हमारे पास जैसा कि पाटिल साहब की रिपोर्ट में इशारा किया गया है, १० हजार करोड़ या २० हजार करोड़ पया नहीं हो सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंदी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए हमें शहरों के अन्दर बहुत बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण करना होगा और जिसके लिए १० हजार करोड़ और २० हजार करोड़ पये हमें चाहियें और जहां तक मैं समझता हूं इस काम के लिए १००, ५० वर्ष में भी इतने रुपये का प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे और इसलिए इस समस्या को इस तरीके से हल करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए और क्या तरीका हो सकता है? इसके लिए मेरा सुझाव है कि सरकार शहरों में जमीन ऐक्वायर कर सकती है। सरकार ने गांवों में जमींदारी खत्म की। उसको चाहिए कि वह शहरों में जो जमीनें पड़ी हैं और काफी पड़ी हैं उनको ऐक्वायर करके विकसित करे और उसके बाद छोटे छोटे प्लाट्स बना कर उन लोगों में बांट दिये जायें जो कि उन पर मकान बनाना चाहते हों। यह कोई जरूरी नहीं है कि उन पर मकान ही बनाये जायें। कम लागत के कच्चे मकान भी बनाये जा सकते हैं अलबत्ता उनमें सफाई का माकूल इन्तजाम रहना चाहिए, पानी, हवा, और रोशनी का इन्तजाम हो और यह कोई जरूरी नहीं है कि पक्के मकान ही बना कर हम इन सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर कुछ मुमकिन न हो तो लोगों को खुले मैदान ही दे दिये जांय जहां वे छप्पर वगैरह डाल कर रह सकें। अगर इस तरह की योजना हम शहरों में चालू कर दें तो हो सकता है कि उससे हम इस समस्या को बहुत हद तक हल कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो यह भी देखा गया है और दिल्ली की बात मैं बतलाऊं कि सन् १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की और हमारी पीठ में छुरा भोंका, आज उन लोगों और उनके परिवारों के पास दिल्ली के आधे मकानात जो एक तरीके से स्लम्स हैं, गंदी बस्तियां हैं वे उनके पास मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोगों को तो १०, १० और २०, २० हजार मासिक रुपया बतौर किराये के आता है। उस रुपये को उन लोगों ने अलग अलग लोगों के नाम कर रक्खा है, किसी नाती के नाम कर रक्खा है, बहू के नाम कर रक्खा है अथवा किसी रिश्तेदार के नाम कर रक्खा है। मकानों को अलग अलग लोगों के नाम रख कर वे अपनी आमदनी को बांट देते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको टैक्स न देना पड़े। मैं समझता हूं कि शायद अब वह समय आ गया है जब कि शहरों में भी हम इस तरह की जो मकानों की जायदादें हैं उनको किसी तरीके से खत्म करने की बात सोचें और ऐसी जमीनों को हम छोटे आदमियों में प्लाट्स बनाकर या किसी दूसरे तरीके से दे सकें जिससे कि यह गंदी बस्तियों की समस्या हल हो सके।

[श्री बजराज सिंह]

जहां तक इमारती सामान में श्राई हुई तेजी का सवाल है यह एक भयंकर समस्या है। कलकत्ते में मुझे बतलाया गया कि ७० रुपये हजार के हिसाब से ईंटों का भाव है। मैं तो सुन कर हैरान हो गया कि ईंट का भाव ७० रुपये हजार हो सकता है। वहां भाव की तेजी एक ही कारण से हो सकती है और वह यह कि कलकत्ते के आसपास की जमीन की मिट्टी जहां पर कि ईंट बनती हैं, वहां पर मिट्टी की क़ीमत ज्यादा होती है लेकिन वहां पर कोयला तो काफी होगा और लेबर की भी कमी वहां खास नहीं पड सकती। आमतौर से जो एक लाख या दो लाख के शहर हैं और उनके आसपास जो ईंटें बनती हैं, उनके बनाने में जो लागत आती है, कौस्ट, प्राइस जो ईंटों की होती है वह १५ रुपये हजार पड़ती है और उसके लिए कलकत्ते में ईंट ७० रुपये हजार बिके और यहां दिल्ली में भी वह काफी मंहगी मिले, मैं तो उसका कोई कारण नहीं देखता सिवाय इसके कि लोग इसमें नाजायज तौर तर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा कहना है कि बीच के लोग जो यह मुनाफा कमा रहे हैं उस मुनाफे को खत्म किया जाय। सरकार इस काम को खुद करे और अगर खुद नहीं कर सकती तो कोआपरेटिव सोसाइटियों को यह काम दे दिया जाय, कोयले का इन्तजाम किया जाय, जमीन का इंतजाम किया जाय जहां पर ईंटों के लिए मिट्टी मिलती है, ताकि वहां पर ईंटें बनाई जा सकें और इस तरीके से सस्ते भाव पर उनको ईंटें सप्लाई की जांय। आज ईंटों के काम में मैं समझता हूं कि दिल्ली शहर में और दूसरे शहरों में बड़ी मुनाफ़ाखोरी चल रही है और सरकार को इसे रोकने की दिशा में सक्रिय क़दम उठाना चाहिए। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के इस युग में गांवों के लोगों का झुकाव शहरों की तरफ़ पढ़ने के कारण शहरों में आबादी रोजाना बढ़ती जा रही है और इस स्थिति का कुछ लोगों ने नाजायज तौर पर फ़ायदा उठाया है। मैं जानता हूं कि दिल्ली में और कई अन्य बड़े बड़े नगरों में किस तरह कुछ कोलोनाइजर्स नई नई जमीनों को विकसित करने के नाम पर कौड़ियों के मोल जमीनों को खरीद कर छोटे छोटे प्लाट्स बना कर लोगों को अच्छे दामों में बेच कर करोड़ों रुपये कमा चुके हैं। सरकार को इस नाजायज मुनाफाखोरी को रोकने के लिए यह तय कर देना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी भी बड़े शहर में जिसकी कि आबादी एक लाख से अधिक हो किसी तरह के प्राइवेट कोलोनाइजेशन का काम नहीं करेगा और न कोई इस तरह के प्लाट्स बनाकर मनमाने भाव पर बेचेगा। इस काम को सरकार खुद अपने हाथ में लेगी और किसी दूसरे के हाथ में नहीं देगी। मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई एक कानूनी व्यवस्था हो जाय ताकि इस तरह से जो नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं वे न कमा सकें। लोक सभा में हमने सुना कि किस तरह से कोलोनाइजर्स कौड़ियों के मोल पर जमीन को ऐक्वायर करते हैं और उसके प्लाट्स बना कर काफ़ी दामों पर लोगों को बेच कर चल देते हैं और प्लाट होल्डर्स को चूंकि आवश्यक सुविधाएं वहां पर सुलभ नहीं होती हैं इसलिए वे मकान बनाने से वंचित रह जाते हैं और इस तरह उनको बेवकूफ बनाया जाता है और उनको सख्त मुसीबत और परेशानी का सामना करना होता है। वे कोलोनाइजर्स वहां पर आवश्यक सुविधाओं जैसे कि पानी, बिजली और ड्रेनेज वग़ैरह की उनको दिये बिना अपना उल्लू सीधा करके चल देते हैं। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब सरकार को कानून बना कर इस चीज को रोकना चाहिए।

आगरे में मुझे मालूम है जहां पर कि मकानों की कमी की एक बड़ी समस्या है, वहां पर कितने ही मकान ऐसे हैं जिनमें

कि साल के ३६५ दिन में से एक दिन भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है और आप बखूबी समझ सकते हैं कि उन मकानों के रहने वाले अगर टी० बी० के शिकार हों, तो उसमें क्या आश्चर्य है। मैं समझता हूं कि इस तरह के अनहाइजैनिक मकानों के नष्ट करने और उनके स्थान पर अच्छे और हवादार मकान बनाने की बहुत आवश्यकता है। वहां पर होता क्या है। वहां पर सरकार की तरफ़ से इस तरीके की योजना बनाई और चलाई गई जिसके कि अनुसार वहां पर कुछ लोगों को यह काम करने के लिए दिया गया। अब उन लोगों ने तीन पैसे गज़ के हिसाब से किसानों से ज़मीन ऐक्वायर की और आठ रुपये गज़ के हिसाब से लोगों को प्लाट्स बना कर बेचे जो कि मकान बनाना चाहते हैं। इस तरह से आप देखिये कि वे १६० गुना मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मकानों की समस्या हल करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इमारती सामान को सस्ता करने की कोशिश करें और उसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

ईंटें बनाने के लिए हम ज़मीन ऐक्वायर करके दे सकते हैं, उसमें से मिट्टी मिल सकती है, कोयला हमारा जाता ही है और मुल्क में जहां तक लेबर का सवाल है उसकी कोई कमी हमारे यहां नहीं है इस प्रकार हम बहुत सस्ती ईंटें दे सकते हैं।

सीमेंट का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें भी लोग बहुत काफी मुनाफ़ा कमा रहे है और वह मुनाफ़ा सीमेंट में सरकार की जानकारी में कमाया जा रहा है। बारबार टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट आती है और कह दिया जाता है कि चीजों के भाव चूंकि बढ़ गये हैं इसलिए सीमेंट का भाव भी बढ़ गया है। अब जहां तक चीजों के भाव बढ़ने का सम्बन्ध है और सीमेंट पर उसका जो असर पड़ता है मैं इस अवसर पर उस विषय में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि सरकार को सीमेंट के बढ़े हुए मूल्य पर ध्यान देना चाहिये और सीमेंट का भाव कम करके उसके अच्छी तरह से वितरण का सरकार द्वारा उचित इंतजाम किया जाय। सरकार को इमारती सामान सस्ता करने की तरफ़ ध्यान देना चाहिए। जंगलों से लकड़ी लाने का सरकार द्वारा उचित प्रबन्ध किया जा सकता है। आज इस व्यवसाय में भी बहुत से लोग अनुचित मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार यदि इमारती सामान को सस्ता सुलभ करने की व्यवस्था करे तो काफी तादाद में अच्छे और सस्ते मकान बन सकेंगे। मकानों की समस्या और गंदी बस्तियों की सफाई की समस्या काफी हद तक हल हो सकेगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर हम सस्ते मकान नहीं भी बना सकते तो कोई परवाह नहीं। हम खुली हवा, पानी और रोशनी का इंतजाम कर दें और एक प्लान के अनुसार जैसा कि सेन कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव है कि गंदी बस्तियों के रहने वालों को फी परिवार १००० वर्ग फुट से १२०० वर्ग फुट ज़मीन और १५० रुपया दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि ऐसा करना अच्छी बात होगी। मैं समझता हूं कि १५० रुपये के बजाय अगर उनको ५०० रुपये दिये जा सकें तो वह किसी तरह से कुछ बचा कर अपने मकान अथवा झोंपड़ा खड़ा कर लेगा लेकिन अगर आप कुछ भी रुपया उसको न दे सकें और आप उसको केवल प्लाट ही दें जहां कि वह अपना झोंपड़ा डाल ले अथवा कच्चा चबूतरा ही बना ले और वह अपने रहने का प्रबन्ध कर ले तो भी कुछ समस्या तो हल होगी ही अलबत्ता वहां पर आवश्यक सुविधायें की आपको उचित व्यवस्था करनी होगी ताकि वे स्वस्थ और अनुकूल वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान जो इस चीज़ की ओर गया है वह बहुत अच्छी और स्वागत योग्य बात है। अगर यह मामला बार बार लोक सभा के सामने चर्चा के लिए आयेगा

[श्री बखराज सिंह]

और लोकसभा का ध्यान इस ओर जायगा तो जो लोग बेजा मुनाफा कमा रहे हैं उसको खत्म करने की कोशिश की जायेगी। मैं चाहता हूं कि साफ बस्तियां बसाने की कोशिश की जाये। इसमें इतना रुपये का सवाल नहीं है जितना कि सही दृष्टिकोण का सवाल है। अगर लोगों में यह भावना पैदा की जाये कि हमें साफ मकान बनाने हैं चाहे वे कच्चे ही हों, तो यह समस्या हल हो सकती है। और किसी तरह यह समस्या हल नहीं हो सकती।

इस रिपोर्ट में एक टरमिनल टैक्स के बारे में सुझाव दिया गया है। कहा गया है कि इससे १२ या १३ करोड़ की आय हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार का टैक्स लगाया गया तो उससे असंतोष पैदा होगा जो कि पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए यह टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठेकेदार और दूसरे लोग जो बेजा मुनाफा कमा रहे हैं उसको अगर कम करने की कोशिश की जाय तो इस समस्या का हल आसान हो सकता है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो रिपोर्ट हमारे सामने आयी है और उसमें जो नया एप्रोच दिखाया गया है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देती हूं।

अभी तक हम लोगों को बहुत बार यह शिकायत करने का मौका रहता था कि गरीब लोगों को शहरों से निकाल कर बहुत दूर ले जाया जा रहा है। यहां पर जो दिल्ली में स्लम क्लियरेंस की स्कीमें बनी हैं उनको देखकर मुझे गालिब का शेर याद आ जाता है जिसमें कहा गया है,

ले दरो दीवार का इक घर बनाना चाहिए
साथ यह भी कहा गया है:

पड़ जायें बीमार तो कोई न हो तीमारदार
साथ यह भी लिखा है

मर भी गर जायें तो नाह ख्वां कोई न हो।

ऐसा मालूम होता है कि शायर ने बीसवीं सदी की दिल्ली की स्लम क्लियरेंस स्कीम को देखकर ही ये शेर लिखे हों। इसके लिए उसे मुबारकबाद है।

फिर भी मुझे यह अर्ज करना है कि दिल्ली में मुख्तलिफ अथारिटीज के काम में कोआर्डिनेशन की बहुत कमी है। सिर्फ मकान बनाने वाली ही नहीं मकान गिराने वाली अथारिटीज में भी कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। मकान गिराने वाली आथारिटी यहां पर डी० डी० ए० है, लैंड डेवेलपमेंट वाले भी मकान गिरा देते हैं, कारपोरेशन भी गिरा देता है, न्यू देहली म्यूनिसिपल कमेटी भी गिरा देती है। इसका नतीजा यह होता है कि जब हम एक अथारिटी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मकान आपने गिराया है तो वह कहते हैं कि हमने नहीं गिराया, दूसरी अथारिटी कहती है कि हमने नहीं गिराया। इस तरह बड़ी मुश्किल का सामना करना होता है। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगी कि जहां तक मकान गिराने वाली या स्लम क्लियरेंस करने वाली या मकान बनाने वाली अथारिटीज का काम है, उनमें आपस में कोआर्डिनेशन होना चाहिए। यह न होना चाहिये कि जो चाहे मकान गिरा दे।

16 hrs.

दूसरी बात मुझे यह कहनी है, मैं सिर्फ उसकी तरफ इशारा ही करूंगी क्योंकि समय कम है। जहां हमको स्लम क्लियर करने हैं वहां हमको यह भी देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से स्लम बढ़ते हैं। जो हमारे यहां किरायेदारों के लिए

और मकान मालिकों के लिए कानून है उससे भी स्लम बढ़ते हैं। ये जो स्लम क्लियरेंस करने वाले अधिकारी हैं उनका ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिए कि जो लोग इस वक्त मकानों में सही सलामत रह रहे हैं वे बिना वजह के बाहर न निकाल दिये जायें। और इस तरह से वे भी स्लम्स की गिनती न बढ़ायें। मकान किराये के कानून में और इस स्लम क्लियरेंस के कानून में भी कोआर्डिनेशन होना चाहिये। आजकल हो यह रहा है कि मकान मालिक अपने मकान की मरम्मत इस लिए नहीं कराते कि मकान गिर जाय या गिरने लायक हो जाये ताकि उनको किरायेदार को निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाय। आपको शायद यह सुन कर यकीन न होगा कि मकान मालिक चाहते हैं कि उनका मकान गिरा दिया जाये। आज पुरानी दिल्ली में यह हो रहा है कि मकान मालिक मकानों की मरम्मत नहीं कराते और झूठे सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि मकान गिराने काबिल है और उनको गिरवा देते हैं ताकि किरायेदारों को निकाला जा सके। जब गवर्नमेंट अपने मकान से किसी को निकालती है तो हम कह सकते हैं कि इस आदमी को आल्टरनेटिव एकोमोडेशन दी जाये लेकिन जब प्राइवेट मकान मालिक अपने किरायेदार को निकालता है तो उसके लिए तो आल्टरनेटिव एकोमोडेशन देने का सवाल ही नहीं होता। नतीजा यह होता है कि वह आदमी स्लम में आकर रहने लगता है और उसकी गिनती को बढ़ा देता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इन कानूनों में भी आपस में कोआर्डिनेशन होना चाहिए।

इसी तरह से जो स्लम एक्ट यहां पर बना है उसकी तरफ भी मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहती हूं। उसका भी रिपोर्ट में जिक्र है। जो एरिया स्लम में हों उनको आप ऐक्वायर कर सकते हैं। पर यह हमारे लिए काफी नहीं है। जिस जगह में स्लम हैं उसको ऐक्वायर करने का तो कानून बन गया। लेकिन स्लम्स के अलावा जो और खाली जमीनें दिल्ली में हैं और जो कि स्लम्स ड्वलर्स के लिए ली जा सकती हैं उनको सस्ते में ऐक्वायर करने का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसका एक तरीका हो सकता है कि हम पहले स्लम ड्वेलर्स को उन जगहों पर आबाद होने दें और फिर उन जगहों को सस्ते दामों में ऐक्वायर कर लें। तो जो जमीनें खाली पड़ी हैं लेकिन सस्ते दामों में जो स्लम ड्वेलर्स के लिए नहीं ली जा सकतीं इस सवाल पर भी सरकार को तवज्जह देनी चाहिए। दिल्ली में है और दूसरी जगहों में भी इस तरह की जमीनें होंगी जहां पर कि स्लम ड्वेलर्स को बसाया जा सकता है। पर दिक्कत यह है कि वे जमीनें गवर्नमेंट को सस्ते दामों नहीं मिल सकतीं। गवर्नमेंट को शहर से बाहर दूर जमीन लेकर वहां पर स्लम ड्वेलर्स को ले जाना पड़ता है। इससे उन लोगों को बहुत मुश्किल होती है। इस कानून में यह प्रावीजन भी होना चाहिए कि शहर के अन्दर जो खाली जमीनें हैं उनको सस्ते दामों पर ऐक्वायर करने का अधिकार सरकार को होना चाहिए।

इसी के साथ साथ मैं एक और चीज की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहती हूं। दिल्ली एक बहुत छोटी जगह है। लेकिन मैं समझती हूं कि जो दिक्कतें यहां पेश आ रही हैं वे दूसरी जगहों पर भी पेश आ रही होंगी। अभी कानून यह है कि जो आदमी चाहे अपनी जमीन चाहे जिस किसी को चाहे जितने दाम पर बेच सकता है। अगर सरकार इन जमीनों को ऐक्वायर करे तो उसको बहुत कम दाम देना पड़े। आज यह हो रहा है कि प्राइवेट कालोनाइजर मुंहमांगे दामों पर लोगों से बेहतरीन जमीन खरीद लेते हैं क्योंकि वे दूसरे लोगों से मन माने दाम वसूल कर सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की बेहतरीन जमीनें प्राइवेट कालोनाइजर्स के पास जा रही हैं।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मैं समझती हूं कि कानून में कोई इस तरह का बन्दोबस्त होना चाहिए कि जब तक स्लम्स में रहने वाले आबाद न कर लिये जायें इस तरह से इन लोगों को जमीनें न खरीदने दी जायें। पहले भी हमने इस बारे में कहा था पर कहा गया कि यह तो फंडामेंटल राइट है कि जो चाहे अपनी चीज किसी को बेच सकता है। लेकिन अगर यह हालत रही तो स्लम्स की समस्या तो हल होने वाली नहीं है। मुझे ऐसी जमीनों के बारे में मालूम है लेकिन जब कभी स्लम योजना कमेटी में हम इसका जिक्र करते हैं तो कहा जाता है कि ये जमीनें तो बहुत महंगी हैं। इसलिए सरकार उनको नहीं ले सकती। और हम देखते हैं कि उन जमीनों पर दिन रात बड़ी बड़ी मंजिल तैयार हो रही हैं और बड़े बड़े किराये वसूल किये जा रहे हैं। तो इस तरफ भी सरकार की तवज्जह होनी चाहिए।

दूसरे मुझे आपसे यह भी अर्ज करना है कि यहां पर सस्ते ट्रांस्पोर्ट का इन्तिजाम होना चाहिये क्योंकि चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों न करें और चाहें कि लोगों को नजदीक से नजदीक आबाद किया जाय, लेकिन फिर भी उनको आपको दूर ले जाना पड़ता है। आज दिल्ली में एक जगह हमने इन लोगों को आबाद करने के लिए बनायी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी को जबरदस्ती वहां नहीं भेजा जायेगा।. पर कुछ लोग वहां गये। पर वहां सस्ते ट्रांस्पोर्ट का कोई इन्तिजाम नहीं है। जो लोग वहां रहते हैं उनको महीने में पन्द्रह, बीस या पच्चीस रुपये बस के किराये के देने होते हैं। तो सस्ते ट्रांस्पोर्ट का भी इन्तिजाम होना चाहिए। जिस तरह से लोगों के लिए स्कीमों के मातहत मकान बनाने के लिए रुपया जरूरी है उसी तरह से उन जगहों के लिए सस्ते ट्रांस्पोर्ट की भी जरूरत है। इस तरफ भी तवज्जह देने की जरूरत है।

एक बात मैं और आपसे आखिर में अर्ज करना चाहती हूं कि जो आप लोगों को शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनायें तो पहले आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बाहर भेजें। इसका नतीजा यह होगा कि उन इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखने वाले मजदूर भी बाहर जायेंगे। अगर बहुत से लोग इस तरह से बाहर मकान बना लें तो हो सकता है कि मोची भी वहां जा कर आबाद हो जाये। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि चूंकि किसी जगह पर मोची आबाद हैं इसलिए दूसरे लोग वहां आकर मकान बनायेंगे। तो मेरा सुझाव है कि आपको पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करना चाहिए। अगर वह बाहर जायेंगी और दूसरे लोग बाहर जायेंगे तो फिर सरविसेज वाले लोग भी वहां जाना पसन्द करेंगे। तो शिफ्टिंग करते वक्त हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए।

एक बात और कहनी है, जो भी नई बस्ती बसायी जाती है उसमें कहा जाता है कि सर-विसेज का इन्तिजाम होना चाहिए। आप नई दिल्ली का नक्शा देखें तो मालूम होगा कि उस जमाने में यह ख्याल था कि जो आदमी आज मेरी रोटी बनाता है उसका बेटा भी मेरी रोटी बनायेगा। क्योंकि आप देखें कि इन बस्तियों में इस सरविस वाले लोगों के लिए न पढ़ने का इन्तिजाम है, न उनके लिये इलाज का इन्तजाम है न कोई दूसरा इन्तजाम है। तो जहां पर सरविसेज करने का ख्याल रखा जाये वहां पर इन सरविसेज के लिए भी सरविसेज मुहय्या करने का ख्याल रखा जाये। तो इन चीजों की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इसके बाद आखिर में जो यह नई एप्रोच है इसके लिए मैं फिर मुबारकबाद देती हूं। आज हमारा ध्यान इस तरफ गया है कि हम स्लम क्लियर करें। अभी तक यह होता था कि इन लोगों को उखाड़ कर दूर फेंक दिया जाता था, इनका घर भी जाता था

और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती थी। इस बात का जो अब ख्याल रखा गया है यह सबसे बड़ी मुबारकबाद के क़ाबिल चीज है। रिपोर्ट में जो इस बात का ध्यान रखा गया है इसके लिए मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देती हूं।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, एडवाइजरी कमेटी ग्रौन स्लम क्लीयरेंस के प्रतिवेदन का मैं स्वागत करता हूं। इस प्रतिवेदन का उन हजारों ग्रादमियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो कि ग़रीबी ग्रौर मजबूरी मे रहते हैं, जो गन्दी बस्तियों में रहते हैं। हमारे देश में रहने के मकानों की समस्या बहुत भयंकर है। एक जमाना था कि जब ग्रादमी रहने के मकानों की परवाह नहीं करता था, ग्रपनी देह की परवाह नहीं करता था ग्रौर सोचता था कि यह देह तथा यह संसार नश्वर है।

"रहिये ऐसी जगह चल कर, जहां न कोई हो
हमसखुन कोई न हो, हमजबां कोई न हो
पड़ जाय गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार
और गर मर जाय तो नूहे-ख्वाहां कोई न हो।"

ग्राज गन्दी बस्तियों में रहने वालों पर यह शेर चरितार्थ होती है।

कबीर ने भी मनुष्य के ऐसे जीवन को लेकर कहा है :

"हाथ में लोटा, बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में
ग्राखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में
कहत कबीर सुनो भई साधो, साहब मिले सबूरी में।"

पहले कहा जाता था—"वैराग्य ही सुखं," लेकिन ग्राज की सभ्यता ग्रौर ग्राज के जमाने में ग्रादमी घर में ही सुख चाहता है ग्रौर "गृहेहि सुखं" की बात में विश्वास करता है ग्राज हम देखते हैं कि हमारे देश में दरिद्रता है ग्रौर सेकड़ों साल पहले दरिद्रता के विषय में हमारे वेद ने कहा था—

ग्रदो यद्दारु प्लवते सिन्धो पारे ग्रपूरुषम्।
तदा रभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम्॥

इसका ग्रर्थ यह है कि "यह जो समुद्र में लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, उसका कोई स्वामी नहीं है। हे बदसूरत ग़रीबी, तू उस पर बैठ कर सात समुद्र पार चली जा।" हमारे कई मेम्बर साहबान विदेशों में जाते हैं ग्रौर वहां ग्राकर वहां का नक्शा बयान करते हैं। मैंने तो वह सब कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि किसी समय हमारे यहां भी वैभव था, कल्याण था, सुख था, सौन्दर्य था। ग्राज सारा सुख चैन विदेशों में नजर ग्राता है ग्रौर यहां पर दुख ग्रौर दरिद्रता के मारे लोग गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, जो सुझाव दिये गये हैं वे ठीक हैं, लेकिन ग्रावश्यकता इस बात की है कि उन पर ग्रमल किया जाय। हमें इस बात की भारी प्रसन्नता है कि हमारे जनप्रिय प्रधान मंत्री महोदय का ध्यान इस ग्रोर गया है। हमारे बापू जी स्वयं उन बस्तियों में हमारे बीच में रहे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान सिर्फ बड़े नगरों की ग्रोर ही नहीं जाना चाहिये। उसको दूसरे इस प्रकार के गन्दे स्थानों की दशा सुधारने की तरफ़ भी तवज्जह देनी चाहिये। पटना एक बड़ा नगर है, लेकिन उसकी गन्दी बस्तियों, गन्दे डोमखानों ग्रौर भंगी टोलियों के भयंकर जीवन को देख कर शरीर में सिहरन होती है। ग्रगर ग्राप पूरे देश के नक्शे को सामने रख कर चलते हैं, तो उसके ग्रनुसार ही काम करने की जरूरत है। यह बात साफ़ है कि दिल्ली ग्रौर कलकत्ते ग्रौर दूसरे बड़े नगरों की गन्दी बस्तियों में लोगों को रोजाना की सहूलियत की चीजें भी उपलब्ध नहीं हैं। वहां रोशनी नहीं है ग्रौर पीने का पानी भी नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां भी चाणक्यपुरी की गन्दी बस्ती में

[श्री बाल्मीकी]

बहुत कम पानी मिलता है। एक दो गाड़ियां नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी की जाती हैं। वहां के लिये छः पानी की टूंटियां मंजूर हुई थीं, लेकिन सिर्फ़ तीन लग पाई हैं, जिनमें से बहुत थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है। रास्ता तथा सफ़ाई व नाली व टट्टियों का भी प्रबन्ध नहीं है।

इस रिपोर्ट में आपने सुझाया है कि—

"Long-term plans must have as their objective the complete eradication of slums, but steps should be taken now to provide, with comparative lesser finance, the immediate minimum facilities and amenities like a sufficient number of sanitary latrines, proper drainage, uncontaminated water supply, moderately good approach roads, paved streets and proper lighting."

किन्तु यह सब ध्यान दिये बगैर होने वाला नहीं। यह ठीक है कि इस भयंकर समस्या की तरफ़ आपका ध्यान गया है, लेकिन कठिनाई यह है कि कोई भी बात पूरी नहीं होती है। हमारा ध्यान जाता है, हम विचार करते हैं और रिपोर्ट भी आती है, जिसमें कई सुझाव दिये जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हज़ारों आदमी देहात से शहरों की तरफ़ रोज़गार की तलाश में आते हैं। वे लोग इन बस्तियों में रहते हैं और उनको कोई रोज़गार भी नहीं मिलता है। इस रिपोर्ट में यह सुझाया गया है कि उन लोगों को समुचित प्रकार से वहीं पर या दूसरी जगह बसाया जायेगा और उनको छोटे छोटे उद्योग धंधों में रोज़गार देने की व्यवस्था की जायेगी। मैं इस सजेस्शन का स्वागत करता हूं।

जब मैं जेल में था, तो मैंने ई० डी० साइमन द्वारा लिखित पुस्तक "हाउ टू एबालिश स्लम्ज़" पढ़ी थी। उसमें उसने सब से ज़्यादा दोष ओवर-क्राउडिंग का बताया है। इन गन्दी बस्तियों में ओवर-क्राउडिंग है और जो सुख-चैन और वैभव अच्छे घरों में होना चाहिये, वह वहां की झोंपड़ियों में नहीं मिलता है। मैं पैप्पलादसंहिता के दो मंत्र आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनमें बताया गया है कि प्राचीन काल में कितने सुन्दर और सुख-वैभवपूर्ण मकान होते थे। पहला मंत्र यह है—

सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।
अक्षुध्या अतृष्यासो गृहा मास्मद बिभीतन ।।

अर्थात् "जिन घरों के निवासी आपस में मधुर और सभ्य सम्भाषण करते हैं, जहां सौभाग्य रहता है, प्रीति-भोज होता है, जहां सब हंसी-खुशी से रहते हैं और जहां न कोई भूखा है, न प्यासा, वहां कहीं से भय का संचार न हो।"

मैं जानता हूं कि गन्दी बस्तियों में जितने घर हैं, उन सब में दुख और भय भरा पड़ा है। रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में उनके जीवन को सुखमय करने के हेतु जो सुझाव दिये गये हैं, उनकी मैं पूरि पूरि प्रशंसा करता हूं।

दूसरा मंत्र यह है —

उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसन्मुदः ।
अरिष्टाः सर्वपूरुषा गृहा नःसन्तु सर्वदा ।।

अर्थात् "प्रचुर धन वाले मित्र इन घरों में आते हैं और हंसी-खुशी हमारे साथ स्वादिष्ट भोजन में सम्मिलित होते हैं। हमारे गृहों, तुम्हारे अन्दर रहने वाले सारे प्राणी नीरोग और अक्षीण रहें, उनका किसी प्रकार का ह्रास न हो।" लेकिन इन गन्दी बस्तियों के सब घरों में अभाव है, ह्रास है। उसका जो इलाज आपने सुझाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अमल के बिना

यह सब सुझाव अधूरा है । । ई० डी० साइमन ने अपनी किताब में जो सुझाव दिये हैं, उनकी ओर में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उसने सुझाया है कि जहां पर गन्दी बस्तियां हैं, वहीं पर उन लोगों को बसाया जाय । उन को वहां से उखाड़ा न जाय । अगर वे लोग ज्यादा हैं, तो थोड़े लोगों को बसा दिया जाय और बाकियों को वहां से हटाया जाय । उनको जो मकान रहने के लिये दिये जायें, उनके किराये कम हों । उन लोगों को चिल्ड्रन्स एलाउंस दिया जाय । हमारे मंत्री महोदय टैक्स की बात करते हैं । अगर उन लोगों को दो रुपये फी बच्चे के हिसाब से दिया जाय, तो इस तरह उनकी एडीशनल मदद हो सकती है ।

रिपोर्ट मे जो रिकमेंडेशन्स दी गई है, उनकी तरफ़ मे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । पहली रीकमेंडेशन यह है—

"Slum Clearance should be viewed as a part of the problem of urban development and all activities relating to social welfare, including the provision of fruitful employment, should be integrated to bring about the development of the depressed and slum areas."

इस सम्बन्ध में मे यह कहना चाहता हूं कि स्लम-क्लीयेरेंस स्कीम को आप डेवेलपमेंट स्कीम, प्राजेक्ट स्कीम, प्लानिंग और टाउन प्लानिंग के साथ न मिला कर केवल उसी तरफ ध्यान दें । आपका ध्यान अच्छी और बड़ी योजनाओं की तरफ़ ज्यादा है । आपको केवल इस तरफ़ ध्यान देना चाहिये । तभी कुछ हो सकेगा ।

आपकी तीसरी रीकमेंडेशन यह है—

"To start off with, the worst slum areas in the six cities of Calcutta, Bombay, Madras, Delhi, Kanpur and Ahmedabad may be taken up for treatment."

मैं यह कहना चाहता हूं कि पटना की हालत निहायत नाजुक है । इन जगहों पर तो खराबी है ही, लेकिन पटना की तरफ़ भी ध्यान देना चाहिये ।

छठी रिकमेंडेशन में कहा गया है—

"In order to make more effective the Ministry of Works, Housing and Supply's Slum-Clearance Scheme, which has for its objective, the eradication of the slums, it will be necessary to:—

(i) provide an increased financial allocation for slum clearance, especially for the cities of Bombay, Calcutta, Madras Delhi, Kanpur and Ahmedabad;

(ii) find the entire subsidy envisaged under the Scheme from the Centre's own financial resources;

(iii) set up medium, small scale and cottage industries in order to provide the slum-dwellers who have to be moved away to distant sites, means of employment in the new neighbourhoods; and

(iv) acquire land in bulk on the payment of reasonable compensation and to develop it for use in the housing and slum-clearance programme.

इन सुझावों पर यदि अमल किया गया तो गन्दी बस्तियों के जीवन में आमूल परिवर्तन होगा और उसमें नवजीवन आयेगा । इस योजना के सम्बन्ध में अधिक व्यय हो । यह बहुत जरूरी है कि आप खुद पैसा खर्च करें । इससे भी जरूरी यह है कि लोगों को छोटे छोटे जमीन के टुकड़े दिये जायें । और उस कीमत पर दिये जायें जिस कीमत पर कि ये गरीब लोग खरीद सकें । मैं आपसे तथा हाउसिंग मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूं कि आप उनको जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दें । इस तरह से जो यह जिम्मेदारी है

[श्री वाल्मीकी]

वह सोलह आने आपकी है । उनके लिये कर्ज भी दें । या ग़रीबों व हरिजनों को मकान बना कर दें ।

मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिकोमेंडेशंस की गई हैं, उनकी ओर आप विशेष ध्यान देंगे और उनको अमल में लाने की चेष्टा करेंगे । यदि आपने ऐसा किया तो इन गन्दी बस्तियों का अवश्य सुधार होगा और जो गन्दा स्वरूप उनका आज हमें नज़र आता है, वह नज़र नहीं आयेगा और वहां के रहने वाले लोगों को एक स्वर्ग का जीवन, एक मानवता का जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें उन्हें सुख और चैन मिल सके, प्राप्त होगा ।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने हर-दिल-अज़ीज प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने इस कमेटी को जन्म दिया । इसके साथ ही साथ मैं इस कमेटी के मेम्बरान को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार की और अपनी सिफारिशों को सरकार के सामने रखा । आज कम से कम यह तो साबित होता है कि सरकार इन गन्दी बस्तियों के सुधार की ओर काफी ध्यान दे रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानपुर का निवासी हूं और मुझे इस संसद् में लाने की जिम्मेदारी ९० प्रतिशत वहां की जनता की है । १९५२ या १९५३ में जब प्रधान मंत्री कानपुर गये और वहां की गन्दी बस्तियों को देखने के लिये गये—आम तौर से उनको मौका नहीं मिलता है कि वे उन बस्तियों को देखने जायें—लेकिन कुछ लोगों के कहने पर, इनके असरार करने पर वहां गये—तो मेरा ख़याल है कि इनको देख कर वह भड़क उठे और गुस्से में भर कर, गम्भीर आवाज़ में उन्होंने कहा कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग इन बस्तियों को जला क्यों नहीं देते । बस्तियां जला देने से फिर बस्तियां उनको मिलेंगी या नहीं, यह उनको मालूम नहीं था । लेकिन इस गुस्से का एक फायदा हुआ । जब लोगों ने प्रधान मंत्री जी के दिल और आंखों में आंसू देखे तो इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार चेती और उसने कुछ मकान बनवाने का फैसला किया । इस फैसले के लिये मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं । उसने तीन हज़ार के क़रीब मकान कानपुर शहर में बनवाये हैं—

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : फ्लड के बारे में भी ?

श्री स० म० बनर्जी : उसके बारे में फिर सही ।

ये मकान जो वहां की सरकार ने बनवाये, ये इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के मातहत बनवाये, स्लम क्लीयरेंस स्कीम के मातहत नहीं ।

उसके बाद अभी जब भारत सेवक समाज के जलसे में प्रधान मंत्री जी वहां गये तो बापू पुरवा में जहां पर शायद सब से ज्यादा क्वार्टर बने है, वहां के निवासियों ने सोचा कि प्रधान मंत्री जी के दर्शन भी कर लिये जायें और साथ ही उनके सामने कुछ तकलीफात भी रख दी जायें । उपाध्यक्ष महोदय, स्लम क्लीयरेंस स्कीम के बारे मे जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह भी कहा गया है कि वन रूम टेनेमेंट यानी एक कमरा वाले मकान, जिसमें एक किचन है, सहन है उन लोगों को सबसिडाइज्ड किराये पर दिया जाता है और उनसे उसका १२ रुपये ५० नये पैसे चार्ज किया जाता है । कानपुर में लोग १० रुपये किराया और तकरीबन तीन रुपये बिजली इत्यादि के चार्जिस के रूप में देते हैं । लेकिन आज भी वहां पर

गरीब लोग इन मकानों में नहीं जा पा रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे इन बस्तियों में रहें, वे अपने बाल बच्चों को उन गन्दी बस्तियों में रखना नहीं चाहते जहां वे अब रह रहे हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें ताजी हवा मिले और सूर्य के दर्शन करने को भी मिलें, लेकिन वे जा क्यों नहीं रहे हैं ? इसका कारण यह है कि इन मकानों का किराया इतना ज्यादा है कि वे दे नहीं पाते हैं। बार बार चाहे वह सोलहवीं लेबर कान्फ्रेंस हो, चाहे मंत्री जी के साथ बातचीत हो और चाहे प्रधान मंत्री जी से बातचीत का मुझे मौका मिला हो, मैंने कोशिश की है इस चीज़ को रखने की कि ये लोग इन बस्तियों में जा नहीं सक रहे हैं क्योंकि किराया अधिक है।

कानपुर शहर में आप जानते है कि मिलें एक के बाद एक बन्द होती जा रही हैं और इस बन्दी के खिलाफ मुज़ाहरे भी हो रहे हैं लेकिन हमारी सरकार देखती चली जा रही है। ऐसी सूरत में जब उनकी आमदनी कम हो, तो वे लोग १० रुपये या १२ रुपये या १३ रुपये मकान किराये के तौर पर कैसे खर्च कर सकते हैं।

आपने स्टेट्समैन में एक आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें लिखा था

"Radios and sofa settees in labour colonies"

वाकई मैं क्या इन बस्तियों में रहने वाले मजदूर भाई जो उन इलाकों में गये हैं आर्थिक दृष्टि से इतने अमीर हो गये हैं या उनकी परचेजिंग केपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि उमकी बस्तियों में रेडियो इत्यादि तक लग गये हैं या उन्होंने अपने मकानों में लगा लिये हैं ? असलियत यह है कि स्लम्स को क्लीयर करने के बाद जो मकान बन रहे हैं उनमें ये लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास देने के लिये इतना पैसा नहीं है। फिर इन मकानात में कौन लोग रहते हैं ? मिडिल क्लासिस और अपर-मिडिल क्लासिस के लोग जो कि शहरों में ज्यादा किराया नहीं दे पाते हैं इनमें रहते हैं। शहरों में उनको ५०-६० रुपया किराया देना पड़ता है और यहां पर वे मजदूरों के नाम से आकर रहने लग गये हैं। अगर आप सेंसस लें तो आपको पता चलेगा कि उनमें ५० प्रतिशत भी मजदूर नहीं हैं।

आप कहते हैं कि अगर सबसिडी न हो तो उनका किराया ४६ रुपये के करीब होगा। मैंने देखा है कि एक कमरा है और उसमें पूरी फैमिली नहीं रह पाती है अगर आप फैमिली वर्ड को अंग्रेजों की दी हुई डेफिनिशन के मुताबिक न लें तब। अंग्रेज़ों की डेफि-निशन के मुताबिक फैमिली में वाइफ और लेजिटिमेट चिल्डर्न ही आते हैं। लेकिन हमारे यहां बदकिस्मती से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। उसमें माता भी आती है, पिता भी आते हैं, भाई भी आता है, कंवारी बहन भी आती है और बेवा बहन भी। इन सब को उन लोगों को अपने पास रखना पड़ता है। आज के महंगाई के ज़माने में एक आदमी जो कि ६०–७० रुपये माहवार कमाता है किस तरह से १३–१४ रुपये बतौर किराया दे सकता है। किराया अदा करके उसके पास केवल ४० के करीब रुपया बच रहते हैं और किस तरह से वह इतने थोड़े रुपयों में अपना तथा अपने बाल बच्चों का गुज़र बसर कर सकता है। उसकी आज आमदनी भी कम हो गई है। ऐसी सूरत में क्या वह अच्छे मकान में ठहरने के लिये लालायित होगा या कि अपना तथा अपने बच्चों का पेट भरने को तथा उनको तालीम दिलाने की कोशिश करेगा। यह एक बहुत बड़ा सवाल है।

जो भी इमिडियेट प्राबलेम्स हैं तथा उनको हल करने के लिये आपने जितनी भी शार्ट टर्म पालिसीज़ बनाई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कानपुर शहर में एक मास्टर प्लान है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन शहरों में जहां मास्टर प्लान हैं, वहां हम कोशिश कर सकते हैं कि लांग टर्म बेसिस पर उनके लिये जो कुछ भी कर सकते हैं करें। कानपुर शहर की किस्मत ऐसी

[श्री स० म० बनर्जी]

अभागे की किस्मत है कि वहां पर दस साल से म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हुये हैं। वहां पर एक प्रशासक महोदय हैं। वह डिवेलपमेंट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। जब भी डिवेलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती है तो एक ही बात वह कहते हैं। वह कहते हैं कि कानपुर के मास्टर प्लान को हम कामयाब कर सकते हैं अगर सेंटर हमें कुछ एड दे। जब उनसे एड के बारे में पूछा जाता है कि एड कितनी मिलती है तो वह फिगर देने से इन्कार कर देते हैं। कानपुर में कई गन्दी बस्तियां हैं जिनका सुधार होना है। जो रुपया आप गन्दी बस्तियों को देने जा रहे हैं उसमें क्या कानपुर का नाम भी है या दूसरी जगहों के नाम ही हैं, यह मैं जानना चाहूंगा। इन बस्तियों में खास तौर पर बापू पुरवा, जूही इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। अगर आप इनको देखें तो आपको अफसोस हुये बिना नहीं रहेगा।

It excites horror rather than beauty.

मुझे याद है कि एक बार वहां हड़ताल चल रही थी। वहां के ए० डी० एम० साहब ने मुझे कहा कि बनर्जी साहब आप कम्यूनिस्ट हैं और लोगों को भड़काते हैं, उनको बरगलाते हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट लोग बहुत बुरे हैं, कम्युनिज्म बुरा है। मैंने उनसे कहा आप मेरे साथ चलें और मैं आपको इन लोगों की हालत दिखा सकता हूं। वह मेरे साथ गये। जब उन्होंने देखा कि एक स्लम के एक छोट से मकान में किसी के माता पिता, दो बच्चे, उसकी बीवी और सुअर एक साथ लेटे हुये हैं तो मैंने उनसे कहा कि आप इनसे पूछें कि कम्यूनिज्म खराब है या नहीं और इनको समझायें कि यह खराब है और अगर आपने ऐसा किया तो ये कह देंगे कि इस बस्ती से खराब नहीं है। ऐसी बस्तियों में जहां ऐसी बुरी हालत होती है हमेशा ही कालरा, गैस्ट्रो-एनट्राइटिस इत्यादि बीमारियां घर किये रहती हैं। इस वास्ते इनकी ओर आपका जल्दी से जल्दी ध्यान जाना चाहिये।

आप स्लम क्लीयरेंस स्कीम के मातहत जब कोई एसी स्कीम बनाते हैं जिसमें बस्ती को उजाड़ कर उनके रहने के लिये वहां अच्छा मकान बनाते हैं तो मैं उसका स्वागत किये बिना नहीं रह सकता हूं। एक सिफारिश में आपने कहा है कि जहां से बस्ती उजाड़ी जाय, कम से कम उनको वहां पर ही जगह दी जाय। लेकिन यह हो नहीं रहा है। लोगों की बस्ती उजाड़ तो दी जाती है लेकिन उसके बाद इतना अधिक चार्ज करके ज़मीन दी जा रही है कि वह लोग उसको खरीद नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम बैटरमेंट चार्जिज़ ले कर दे रहे हैं। अगर आप कानपुर के स्लम्स को देखें जिनको देख कर प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि इनको जला दिया जाना चाहिये तो आपको पता चलेगा कि व इतने अनहाइजीनिक हैं, इस तरह से वहां तालाब बने हुय हैं और उनमें गन्दा पानी जमा हो गया है कि पता नहीं वहां के रहने वाले लोग किस तरह से अपनी ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं। चुनाव के दिनों में मुझे एक छोटी सी बस्ती में जाने का मौका मिला और वहां पर मैंने गिरते हुय मकान, सिसकते हुय, तरसते हुय और बिलबिलाते हुय बच्चों को देखा। जब लोगों की इतनी बुरी हालत है तो वह इतना किराया किस तरह से दे सकते हैं। इस वास्ते ज़रूरत इस बात की है कि किराय को कम किया जाय। जो रिपोर्ट है इसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इस ओर भी अवश्य आपका ध्यान जाना चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर इन बस्तियों के रहने वालों को आप कहेंगे कि बहार आने वाली है और तुम इंतिज़ार करो तो वे कह उठेंगे :—

गलत यकीन न करेंगे बहार का हम लोग
हमें खबर है कहां तक बहार आई है।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, गन्दी बस्तियों की तरफ़ सरकार जो ध्यान दे रही है, यह बहुत बड़ी बात है । आशा है इससे जनता का कुछ भला होगा । उस जनता को जो लाखों की तादाद में मनुष्य का जन्म लेते हुये भी जानवरों की तरह जीवन बिता रही है । सारे देश में जिनकी गिनती आज भी लाखों में है, उनको इससे आराम मिलेगा । श्रीमान्, एक स्थान की बात नहीं है, सारे देश में गन्दी बस्तियों की बीमारी फैली हुई है परन्तु बड़े शहरों मे ज्यादा नज़र आती है क्योंकि कुछ जनता तो बहुत ही उच्च दर्जे पर अपना जीवन बिता रही है और कुछ बहुत ही नीचे, जिसकी तस्वीर मैं सदन के सामने नहीं रख सकती न मेरे पास शब्द हैं कि मैं उसके लिये कुछ कहूं । इस बात को सोच कर मेरा सिर झुक जाता है कि अभी तक भी इन गन्दी बस्तियों का खातमा नहीं हो सका । यह देश के लिय कलंक है । स्वतंत्र तथा महान देश के नागरिक होते हुये भी आज लाखों लोगों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, जानवरों की तरह से अपने दिन काटने पड़ रहे हैं । वह लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं, आज उन्हीं के बच्चे स्वच्छ हवा के लिये तरसते हैं । कीचड़ और दुर्गन्ध में वे अपना जीवन बिता रहे हैं । हम उनसे क्या आशा कर सकते हैं ? कैसे उनकी शिक्षा का प्रबन्ध होता होगा और कहां तक उन की तन्दुरुस्ती कायम रहेगी ।

सरकार के लिये भी इतने बड़े बड़े काम जल्दी करने मुश्किल हैं । परन्तु जो ध्यान आपने दिया है यह एक बड़ी बात है । कलकत्ता को ही लीजिये जहां लगभग ६ लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं । कितनी बड़ी संख्या है । दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद में गंदी बस्तियां की सफाई की ओर सरकार ध्यान दे रही है । मैं तो कहूंगी कि और शहरों में भी थोड़ा बहुत कुछ करने का सरकार को कदम उठाना चाहिये । लोगों को भी सिखाना पड़ेगा कि वह भी कुछ सफाई से रहें । वे लोग इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं । देखने में तो वे छोटी छोटी गल्तियां होती हैं परन्तु वे बहुत खतरनाक होती हैं । इसके लिये भी कुछ सोचना चाहिये ।

जहां कहीं सरकार इन गन्दी बस्तियों को हटाना चाहती है वहां उसे ध्यान रखना चाहिये कि उन लोगों की जो कठिनाइयां हों वे दूर हों । अच्छे साफ सुथरे मकान बना दिये जायें जहां सब आसानियां मिलें, शुद्ध जल मिले, रोशनी, अच्छे रास्ते आदि का प्रबन्ध हो । उनके लिये छोटे छोटे उद्योगों की ज़रूरत है । अगर उनके लिये उद्योग नहीं होंगे तो आप भी इस चीज को जानते हैं कि हम उनको उन जगहों पर नहीं रख सकेंगे । चाहे उनको कितने ही अच्छे मकान दें, चाहे कितने तरह की सुविधायें दें, लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो उनका सफाई की तरफ बहुत कम ध्यान जायेगा । यह सब बातें सरकार को अपने ध्यान में रखनी चाहियें । कुछ अर्सा हुआ मुझे विनय नगर में जाने का मौका मिला वहां पर मैंने उनकी झोंपड़ियां देखीं । मैं तो उनको झोंपड़ियां भी नहीं कहूंगी क्योंकि झोंपड़ी फिर भी कुछ बड़ी होती है । वह तो ऐसी थी कि जिनमें बीच में मुश्किल से एक चारपाई रह सकती थी । वहां पर तो खड़े होने का भी स्थान नहीं था, जिसमें एक पूरा परिवार रहता था । जो लोग वहां रहते हैं उन्होंने ही दिल्ली की बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें अपनी मेहनत से खड़ी की हैं । एक तरफ तो झोंपड़ियां हैं दूसरी तरफ विनय नगर के साफ सुथरे फ्लेट्स हैं । बीच में सिर्फ सड़क है । आमने सामने यह दोनों चीज़ें मुकाबले में हैं जो कि दिल में एक दर्द पैदा करती हैं । और उन झोंपड़ियों में भी उनको चैन से रहना नसीब नहीं होता है । अक्सर वे घर रात रात में गिरा दिये जाते हैं । और रात-रात में ही वह बेचारे मेहनत करके फिर

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

दीवार खड़ी कर लेते हैं। यह उनकी बदहाल हालत है। जब तक उनके रहने का कोई इंतजाम न हो तब तक उनके मकान न गिराये जावें। आखिर वह भी तो यहां के नागरिक हैं। उनका ठिकाना करना भी सरकार का काम है। इस महान देश के नागरिकों के लिये ऐसी कठिनाइयां नहीं होनी चाहियें। इसमें शक नहीं कि सरकार को उनकी पूरी फिक्र है और वह समाजवादी व्यवस्था करने में लगी है, परन्तु उनकी भी कठिनाइयां हैं।

लगभग दो मास हुये मैं भिलाई आदि स्टील प्लांट देखने गयी। मुझे रूरकेला में सिटी प्लानिंग देख कर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि सरकार ने वहां चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिये बहुत ही अच्छे मकान बनाये हैं, दो दो कमरे हैं, कोर्टयार्ड है, किचेन है, और हर तरह की आसानियां हैं। मैं तो यह देख कर बहुत खुश हुई कि सरकार ने उनके लिये इतना कुछ किया है। मुझे आशा है कि सरकार अब पूरी तरह से उनकी देख भाल करेगी और जो गन्दी बस्ती में रहने की कहानी है उस पर भी ध्यान देगी। और उनके लिये हर तरह सहूलियतें पहुंचायेगी। उन सबों की दिक्कतों को दूर करने का प्रबन्ध करेगी जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके और उनकी तरफ जनता की दिलचस्पी हो सके। रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्या पता वह कब तक होने जा रहा है। इसके लिये भी जल्दी होनी चाहिये, ताकि इस गन्दगी के कलंक को हम जल्दी दूर कर सकें।

बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्लम क्लीअरेंस का जो प्रश्न है वह बड़ा जटिल है और जैसा माननीय सदस्य ने बताया उसके लिये करोड़ों रुपया चाहिये। लेकिन फिर भी इस काम का करना बहुत अच्छा है। लेकिन कैसे किया जाय ? मेरा यह सुझाव है कि सन् १६५१ की जनगणना के अनुसार १ लाख से ज्यादा आबादी के ७५ शहर भारतवर्ष में हैं। ज्यादा अच्छा हो कि एक स्लम क्लिअरैंस बोर्ड नाम की संस्था कायम कर दी जाय। वह इन ७५ शहरों के मुताल्लिक सर्वे करा कर गवर्नमेंट को सूचित करे। उसके बाद जिन शहरों को सब्सिडी दिये बगैर स्लम क्लिअरेंस का काम चल सकता है उन्हें कर्ज के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। बहुत से ऐसे शहर हैं कि अगर गवर्नमेंट तयार हो जाय तो वह कर्ज ले कर ही यह काम करना चाहते हैं। बहुत सी म्यूनिसिपेलिटीज हैं जो कर्ज से ही स्लम क्लिअरेंस का काम करना चाहती हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो २५ परसेंट सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, साथ में स्टेट को भी देना होता है, उन शहरों की ओर पहले सरकार ध्यान न दे। कर्ज देने से ही बहुत स्लम क्लिअरेंस दूर हो सकता है। दूसरे जिन शहरों में जमीन आसानी से मिल सकती है उनमें यह काम हो सकता है। दिल्ली है, वहां स्लम्स हैं, लेकिन जमीन मिले तो कैसे। दिल्ली में जमीन कहां मिल सकती है। तो जिन शहरों में स्लम्स हैं और वहां जमीन भी मिल सकती है, मकान भी बन सकते हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जाय। आज उज्जैन जैसे शहर की हालत यह है कि वहां स्लम्स भी हैं, पुराना शहर है, पुराने जमाने के, विक्रमादित्य के जमाने के शहर में इस चीज को कर के, स्लम्स क्लिअर करके उसको डेवेलप किया जाय। वहां मजदूरों की संख्या काफी है। अगर आप पड़ोस में जायें तो ऐसा मालूम होता है कि गन्दगी का कोई अन्त ही नहीं है। एक मकान से दूसरे मकान की तरफ कोई नहीं जा सकता। नारायणपुरी, कृष्णपुरी वगैरह के चारों ओर मैंने खुद जा कर देखा है ऐसी जगहों पर अगर पहले इस काम को किया जाय तो आसानी

से स्लम क्लिअरेंस हो सकता है । शहरों के अन्दर जहां बड़ी बड़ी जगहें हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां जमीन भी काफी मिल सकती है, लम्बे लम्बे मैदान हैं, ऐसे मुकामों को पहले लिया जाना चाहिये ।

जहां और बड़े शहरों की तरफ ध्यान दिया गया है, मेरे राज्य में भी एक लाख से ऊपर आबादी वाले पांच शहर हैं । इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल । अब भोपाल राजधानी बना । एक नई राजधानी बनने से हजारों लाखों की तादाद में कर्मचारी मध्य प्रदेश जैसी बड़ी स्टेट के वहां गये जो कि नये स्लम कायम कर रहे हैं । इसको दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिये । वहां की गवर्नमेंट सिर्फ यह चाहती है कि उसको कर्ज मिले । उनके कारकुनों और अफसरों को वहां बसने के लिये मकान चाहिये । लेकिन वह नहीं होता नतीजा यह होता है कि भोपाल में इतने लोग आ गये हैं कि कहीं जमीन नहीं मिलती, मकान नहीं मिलता और किराये इतने ज्यादा हो गये कि गरीब आदमी का वहां रहना मुश्किल है । वहां की राज्य सरकार के पास कई योजनायें हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मकान बन सकें लेकिन इसके लिये उनको कर्ज नहीं मिल सकता है । इसके वास्ते जरूर गौर किया जाना चाहिये ।

इसी तरह से दूसरे शहरों में जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनके मालिकों को मजबूर किया जाना चाहिये कि या तो वे म्यूनिसिपैलिटीज की एरियाज में उनसे उनको जमीन दिलावें या फिर वह खुद इसमें कुछ लागत लगा कर मजदूरों के हित का खयाल करते हुये, उनके स्वास्थ्य का खयाल करते हुये, सफाई का ध्यान रखते हुय, उनके लिय ठीक ढंग से मकान बनावें । तभी यह स्लम्स क्लिअरेंस का काम हो सकता है नहीं तो और शहरों की तरह से करोड़ों रुपये भी खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है । अगर आपने इसमें से २ करोड़ रुपये इस समय दे भी दिये तो उससे बड़े शहरों में स्लम क्लिअरेंस नहीं होगा । आपको छोटे शहरों की तरफ ध्यान देना चाहिये और हर वर्ष जो छोटे शहर हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये । ऐसे दो ही चार शहर हर राज्य में हैं, जिनकी आबादी १ लाख से अधिक है । इसलिये उन जगहों पर आपको स्लम क्लिअरेंस का काम शुरू कर देना चाहिये ताकि वहां के स्लम्स जल्दी दूर हों ।

इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

The Minister of Law (Shri A. K. Sen): Mr. Deputy-Speaker, I welcome this debate if only for the fact that it focusses the attention of this House, and through this House, of the whole country, on a problem which vitally affects the life of our nation. It is not the physical discomfort of a slum life which worries me particularly so much, though a good deal of stress has been laid in portraying for us the physical infirmities of a slum life. They are, no doubt, there. It is the spiritual and mental degradation which a slum life causes which to me, appears to be a far greater source of worry for the future of our nation than anything else. I refuse to believe that a child can grow up into a vigorous, healthy and useful citizen if he is born and brought up within the surroundings of a slum life. It has been proved by the history of other countries; and our country offers many examples of how decent citizens sulk to degraded life and how humanity is humbled when it is made to live in these surroundings.

After all, the physical life has its own impact on our mental and spiritual bearings. And it is nowhere more significant and more pronounced than in the slums. That is why we have endeavour to bring this to the forefront, namely, that the problem of slums is not merely a problem of houses, roads, lights or the other

[Shri A. K. Sen]

physical comforts which we may like for ourselves; but, it is a problem of planting good life, planting decent life into areas with surroundings which make it impossible for decent life to thrive. And, it is that human approach which we want to stress not only in this House but for the whole country; and that the necessity for clearing slums or for improving slums is more for the purpose of building decent life in these areas than for bringing the physical comforts to those who are for the moment denied these. It is, therefore, that we have tried to prove that it is not merely by offering better houses and better roads that we shall achieve our objective but we shall also have to bring into those areas the elements which make for a better spiritual life. And, that is why we have stressed the element of community development in those areas, and we have conceived the entire problem of slum areas as really a part of the problem of urban development, urban development in the fullest sense of the term, development not only of the physical amenities which every citizen ought to enjoy in a free and democratic country but those amenities especially which will make him a better citizen which will allow him to realise his best self, which will make a man out of him so that the nation enjoys his life and his vigour and he gives his best to the nation.

Once it is accepted that the whole problem of slum is a problem of urban development, of building better life in the cities where slums have grown up, then, we are not so much bothered about the history or the causes which have led to the growth of the slums.

The hon. Member who moved the Motion, Shri Rajendra Singh accuses us of not going into the details about the conditions and causes which have led to the development of slums. We have mentioned that it is not necessary nor proper again to traverse ground which has already been covered by other reports. We have in fact referred to other reports which have fruitfully and elaborately analysed the causes which have led to the growth of slums. It may be of great historical interest; it may be interesting as a piece of antiquity; but, it will not help us in approaching the problem for the purpose of solving it.

We are more concerned with the pragmatic approach, namely, how quickly and how much effectively we can remove this scar from our body politic so that never again shall we allow millions of our citizens to lead a doomed life, and never again shall we be reproached for not proceeding quickly and vigorously with the eradication of such a fell disease. It is only for that purpose that we have stressed more on the pragmatic side of the problem, namely, how best to tackle it in the short period and the long-term period, for as the hon. Members have themselves expressed, on the floor of this House today in the course of the debate, the complete eradication of these numerous cancerous growths which have taken their routes in every city would not be practically possible within the short period.

The financial implication is very significant. The hon. Member who moved the Motion had quoted the figures given by the Patel Committee, necessary for the complete eradication of the slums in all the cities and towns. It is no use trying to flatter ourselves in the belief that these large sums would be forthcoming in the near future. Keeping, however, the long-term objective in view—lest we might forget our duty to the nation and to our own people—we must formulate for ourselves short-term plans so that these areas may at least be made fit for human habitation and they may breed better citizens. Therefore, the physical surroundings have to be improved, if not by eradication, by other processes which will at least lay the foundations, as I said, for better

life in those areas. That is why the problem of slum improvement has been stressed by us in the report, as I conceive that it is only by pursuing the objective of slum improvement in the short period that we shall succeed in tackling the problem with any sizeable impression. Of course, we should never lose sight of the long-term objective of complete eradication of the slums and for fitting them into the master plans for every city.

As I said, it is not merely by offering these physical amenities that we shall improve the slum areas or the life in those areas. We have advocated the adoption of the concept of community development in the urban areas; and we conceive that for the purpose of building up healthy community life in these areas, a good and solid economic base has to be created.

It is true that in many cities the slum dwellers are possibly fruitfully employed though our survey, however, imperfect it may be, has shown that in cities like Calcutta the problem of unemployment is very acute in the slum areas and in other cities like Delhi the problem of under-employment is a very serious problem. Without providing an economic base, you cannot create healthy physical surroundings. You may build good houses and good roads. If people are either unemployed or under-employed, houses will not give them relief, roads will not provide them with any decent life. That is why we have tried to formulate an economic base for community life in the cities, which economic base is primarily provided by agriculture and other rural industries in the rural areas, and we have tried to link up this concept of creating an economic base along with the other projects which have been advocated for improving the slum areas.

For everything money is necessary, and the hon. Members can see from our report that even the original allocation had to be pruned with a view to servicing the exigencies of the Plan. We have advocated additional allocations whether by way of diversion from other sources or by way of raising fresh revenue by additional taxation which would not impose steep incidence but would, at the same time, yield substantial revenue.

These are the suggestions made in the report. The basic ideas have been summarised at page 30 of our report. I venture to say that from what has been said in the course of the debate here today, I am convinced that our basic ideas have appealed to this House. Nothing has been said contrary to the basic ideas we have sought to formulate. We have said that slum clearance should be viewed as part of the problem of urban development and all activities relating to social welfare, including the provision of fruitful employment, should be integrated so as to bring about all-round development of the depressed and slum areas. The State Governments, the local authorities and the Central Government spend large sums of money on various services in each slum area, such as, on education, health and various other services. Yet, since they do not get integrated and focussed, their effect on the chosen areas do not appear to be very appreciable. That is why we have said that the resources of the local authorities, State Governments and the Central Government must be pooled and integrated within chosen areas so that maximum results may be obtained and those areas may bloom forth into new urban areas. That is our programme.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): What are the difficulties in implementing these suggestions and what steps are you taking to get them integrated?

Shri A. K. Sen: That is outside the scope of this debate; possibly on a future occasion we shall have occasion to discuss it. We are now dealing with the recommendations. What difficulties there would be in the implementation—that is a different matter

[Shri A. K. Sen]

altogether. The next thing we have said is that one Ministry in charge of urban community development at the Centre should be entrusted with the responsibility of co-ordinating and integrating the activities of other Ministries which, in one way or another, are already functioning and spending money on different activities connected with urban development including the work of local authorities and State Governments. Then, we have said that this approach should be tried in the big cities first. It is true that small cities should not be forgotten. But the resources are limited and trials have to be initiated in chosen areas. That is why we have advocated this approach. It is not that we have ignored the small towns. They have been very much in our minds and once we succeed in the bigger cities, I have no doubt that, our work will automatically extend to the smaller areas and will certainly succeed there as well. The next is the provision of the economic base by the setting up of small and medium industries so that a stable economic base is created for the urban population without which good houses, good roads and good lights would be of no use whatsoever. We have also said that we should try, while implementing the slum clearance and improvement schemes, to localise the people living in the existing slum areas and settle them as near as possible to their original habitations. Even if any master plan for slum clearance is initiated to draw out the population from certain areas, it must be attended with the provision for cheap transport. We have also stressed the prevention of the further growth of slums by trying to spread out industries from the heavily concentrated areas by setting up—we have not used the term—satellite townships or things of that sort. They would really provide a brake against the flow of population streaming into the heavily congested areas. An hon. Member has said that we have not dealt with the problem of the prevention of further slums. I think we have laid great stress on this problem in unmistakable terms. First of all, a master plan should be prepared into which all schemes for slum clearance must be integrated. Secondly, suitable regulations have to be enforced so that the master plan may not be infringed....

Shri S. M. Banerjee: The hon. Minister has stated about the master plan. There is a master plan in Kanpur and I had mentioned that. May I know from the hon. Minister whether the Central Government will provide funds for the successful implementation of the master plan where there is one?

Mr. Deputy-Speaker: The Central Government shall have a master plan for all these and they will be fitted into this.

Shri A. K. Sen: All plans must be adjusted to the available resources pooled together from the Centre, States and local authorities. The Centre cannot be the only source for providing resources. That is exactly the idea which we have tried to demolish. The primary responsibility for the improvement and clearance of slums rests on the State Governments. Let it be made quite clear that we do not want to impose ourselves in areas where the State ought to bear the primary responsibility and we feel that from Delhi we cannot run any slum clearance schemes in the other big cities. That is why the idea of community development in these areas has been stressed so that the movement may spring from within those areas started by the authorities there. The Centre would certainly be willing to share the responsibility of guidance and aid in whatever form it is possible consistent with the other demands. It may be that in a particular city, a master plan has not been implemented fully but that does not take away from the argument that there should

be a master plan and that it should be pursued and implemented.

These are the basic features of our report. I am happy to note that nothing has been said today to give me the impression that our basic ideas have not been accepted.... (*Interruptions.*)

An Hon. Member: Not the recommendation about additional resources.

Shri A. K. Sen: The means by which additional resources are to be raised may not be accepted but that is a different matter. We have thrown suggestions for the purpose of collecting additional resources for the implementation of the suggestions which we ventured to put into the report. I personally feel that we must persist vigorously, consistent with the resources available to us, with this work of slum clearance in the short period because that appears to be more practical and possibly easier to achieve than the long-term objective of complete eradication of all the slums in the cities. We can only do so if we integrate our various activities in the field of education, health, town planning, etc. by the local authorities, in the field of industries and other activities. It is only by the process of integration that we can create a sizable impression on the problem within the next few years. If the activities are diversified and not geared together and focussed on particular chosen areas, the total impression cannot be effective. That is exactly what we have endeavoured to indicate in our report.

Before I resume my seat, I once again express my gratitude to the hon. Members who have taken keen interest in this problem which is, as I have said, a matter of vital interest for the future of our nation and it is the duty not only on the Centre but also on the States—a duty which we owe to these citizens whom we have guaranteed equal rights and a duty of providing the minimum amenities of civilised life—not only physical amenities but also other amenities to enable them to lead a better life, to produce better citizens who will employ themselves usefully for the service of the nation. I hope that the interest evinced by the House will never wane.

17 hrs.

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether the report has been accepted. I do not know whether the report has been accepted by the Government *in toto* and if not whether a portion of the report will be accepted. The Minister of Law has not said anything about it. We do not know.

Mr. Deputy-Speaker: Does Shri Rajendra Singh want to say anything?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru) *rose*—

Shri Rajendra Singh: My hon. friend Shri Banerjee has raised a very pertinent question. After the hon. Prime Minister gives his reply, I would reply.

Shri Jawaharlal Nehru: Well, Sir, I want to be quite frank to the House. The report has not formally appeared before the Government yet. The reason really is that we wanted it to be considered by the Planning Commission fully first. Of course, there is no doubt that the Government is in favour of it. But it has to be examined in detail, and that is what the Planning Commission propose doing; and we asked them to do it and send up their comments. Then the Cabinet will consider it. But I can assure the House that broadly speaking, of course, it is accepted. But how to give effect to the details of it and all that remains to be seen.

Mr. Deputy-Speaker: The discussion is over. The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 O'clock.

17-02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 16th September, 1958